नागरिक सुरक्षा योजना

2026

जिला अलवर

योगेश कुमार डागूर (आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
पदेन उप नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा, अलवर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
01	जिला नागरिक सुरक्षा योजना	03
	भाग – I	
02	नागरिक सुरक्षा परिचय व संगठन	04
	भाग – II	
03	अलवर जिले की रुपरेखा व जिला प्रशासन	07
	भाग – III	
04	नागरिक सुरक्षा सेवायें, उनकी अधिकृत नफरी व सेवा प्रभारी अधिकारी	24
05	मुख्यालय (Headquarter Service)	25
06	संचार सेवा (Communication Service)	28
07	वार्डन सेवा (Warden Service)	31
08	अग्निशमन सेवा (Fire Service)	33
09	प्रशिक्षण सेवा (Training Service)	33
10	हताहत सेवा (Casualty Service)	35
11	बचाव सेवा (Rescue Service)	36
12	निस्तारण सेवा (Salvage Service)	36
13	पूर्ति सेवा (Supply Service)	37
14	डिपो व परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)	37
15	शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)	39
16	कल्याण सेवा (Welfare Service)	40
	भाग – IV	
17	निष्क्रमण (Evacuation)	42
18	रिपेयर एवं डेमोलेशन	43
19	आवश्यक सेवायें व पशुओं की देखभाल	46
20	हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश प्रबन्धन	47
	भाग – V	
21	रासायनिक युद्ध	49
22	जैविक युद्ध	51
23	आणविक युद्ध	53
	भाग – VI	
24	जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची	61
25	जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची	62
26	जिले में उपलब्ध खोज व बचाव उपकरणों एव अन्य संसाधनों की सूची	74

जिला नागरिक सुरक्षा योजना

यह विचित्र किन्तु वास्तविक है कि विश्व में सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक उन्नति के साथ–साथ बढ़ती प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के कारण जन–धन हानि में अपार वृद्वि हुई है। अलवर जिला प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं की सभावनाओं से अछूता नहीं है। आपदाओं से निपटने में नागरिक सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपायों एवं कार्य योजना के अभाव में कई बार प्रशासन भी कर्तव्य विमूढ़, असहाय एवं दिशा भ्रमित सा हो जाता है। अतः आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यतः मानव जनित आपदा जैसे–युद्व के समय होने वाला हवाई हमला, बम विस्फोट, परमाणु, रसायन व जैविक युद्व, ओद्योगिक दुर्घटनायें इत्यादि जिससे होने वाली जन–धन की हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा एवं प्रशासन के सहायोग से अपने ही नागरिकों की होने वाली क्षति को कम से कम करने, उनका मनोबल बनाए रखने, आर्थिक उत्पादन जारी रखने इत्यादि एवं समस्त संभावित आपदाओं का आंकलन एवं सूचनाओं को संकलित कर एक संगठित नागरिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य योजना तैयार की गई है। अलवर जिले की जनसंख्या की गणना 2011 के अनुसार 20.04 लाख है। अतः तैयार की गई योजना में जनता को पूर्ण जानकारी देने के लिए अथवा घटनाओं के समय जनता के ही सहयोग से एक जुट कार्य करने हेतु एक प्रशिक्षित स्वयंसेवी संगठन जो कि प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के समय कार्य के संचालन एवं सम्पादन में पूर्ण सहयोग करेगा, का निर्माण किया गया है। योजना तैयार करते समय व्यवहारिकता एवं क्रियात्मकता का ध्यान रखा गया है तथा प्रयास किया गया है कि सभी स्थानीय समस्याओं को इस योजना में समायोजित कर लिया जावे। फिर भी समय–समय पर आने वाली नयी समस्याओं से निपटने के उपायों को इस योजना मे सम्माहित कर लिया जावेगा।

भारत व राज्य सरकार द्वारा अलवर शहर का नगरीय क्षेत्र नागरिक सुरक्षा कैटेगरी II एवं शेष जिला नागरिक सुरक्षा कैटेगरी घोषित है।

भाग – I

1.1 नागरिक सुरक्षा : परिचय

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) के दौरान देश के मुख्य बन्दरगाह (मुम्बई व कोलकता) में हवाई हमले तथा अक्टूबर 1962 में भारत–चीन युद्ध के दौरान देश के शहरों पर हुए हवाई हमलों में आगजनी व भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण हुए जान–माल का भारी नुकसान हुआ। इसे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1962 में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसकी पालना में राजस्थान सरकार द्वारा 13 नवम्बर 1962 को अधिसूचना जारी कर राज्य के सीमावर्ती जिलों में बाहरी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य में 12 नागरिक सुरक्षा नगरों की अधिसूचना जारी कर, वहां नागरिक सुरक्षा इकाईयां स्थापित की गयी।

नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1965 एवं 1971 के भारत–पाक युद्धों के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, जान व माल के नुकसान को कम करने में सराहनीय सहयोग दिया गया। 2001 में गुजरात भूकम्प, 2004 में सुनामी व प्राकृतिक/मानवीकृत आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम लाया गया। साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों का हवाई हमले के साथ ही आपदा/विपदाओं के दौरान सदुपयोग किये जाने हेतु नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक बदलाव करते हुए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) 2009 जारी किया गया, जिससे इस विभाग की हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में भी अहम भूमिका हो गयी है।

1.2 नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य

देश/राष्ट्र पर आने वाली संकटकालीन स्थिति में हो रहे जान–माल की क्षति को कम करने, खोज बचाव कार्य प्रभावितों के मनोबल को बनाये रखने एवं आर्थिक उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार, स्थानीय जनता/संस्था/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया गया स्वैच्छिक प्रयास ही नागरिक सुरक्षा है। अर्थात नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य ''**नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा**'' करना है। इस उद्वेश्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक महिला व पुरूषों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर नियंत्रक (जिला कलक्टर) के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक मनोनीत किया जाता है। नागरिक सुरक्षा विभाग आपदा/विपदा एवं दुश्मन देश द्वारा आक्रमण किये जाने की स्थिति में स्थानीय लोगों को उनके माध्यम से ही (नागरिक सुरक्षा के स्थानीय स्वयंसेवक) किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देने का कार्य करता है।

1.3 राज्य में नागरिक सुरक्षा विभाग

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के उपरान्त, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के आपदा प्रबन्धन में उपयोग लिए जाने को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक संशोधन कर ''नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009 संशोधन'' किया गया है। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसकी प्राथमिक भूमिका ''बाहरी आक्रमण/हवाई हमला'' के साथ–साथ द्वितीय भूमिका आपदा प्रबन्धन में दी गयी है। इससे नागरिक सुरक्षा विभाग की आपदा प्रबन्धन में अहम भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2015 को जारी अधिसूचना के तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अधीन कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2017 को अधिसूचना जारी कर राज्य के समस्त जिलों को ''नागरिक सुरक्षा जिले'' घोषित कर दिया गया।

1.4 नियन्त्रण :

(क) **निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर** – नागरिक सुरक्षा विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन है। वर्तमान में आयुक्त (विभागाध्यक्ष) नागरिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पास है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, उप निदेशक, सीनियर स्टाफ आफिसर एवं अन्य अधिकारी/कार्मिक स्वीकृत हैं।

(ख) **नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर** –नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त/निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन है। वर्तमान में संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जयपुर के पास निदेशक, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।

(ग) **नागरिक सुरक्षा जिला कार्यालय** – जिले में जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा के नियंत्रक हैं। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के सहयोग हेतु जिले में उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ स्वीकृत है।

(घ) **<u>नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा</u>** – वर्तमान में राज्य के स्वीकृत 12 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा का है, जिसमें अलवर जिला भी सम्मिलित है।

1.5 नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण :–

(क) <u>नागरिक सुरक्षा, विभाग (राज्यस्तरीय संगठन)</u>

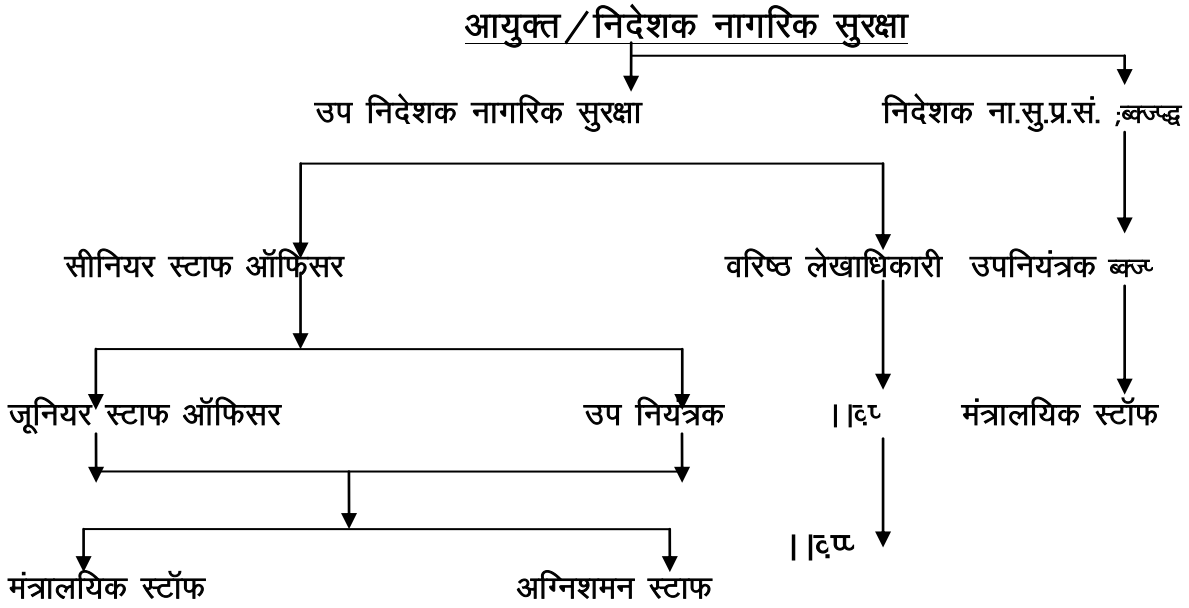

(ख)<u>नागरिक सुरक्षा (जिला स्तर)</u>

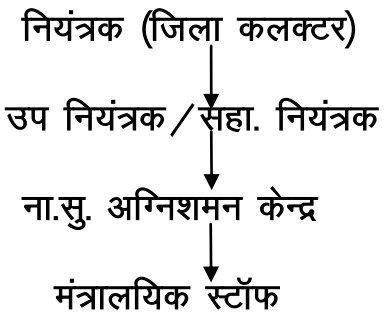

1.6 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 (संख्या 27)

भारत सरकार द्वारा 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संख्या 27) के तहत देश में दुश्मन देश द्वारा बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से होने वाले नुकसान एवं स्थानीय लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित करने तथा बचाव कार्यों के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के गठन किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इसमें नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा नियम 1968 एवं नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 भी बनाये गये।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनाये जाने के पश्चात, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में उपयोग को देखते हुए, वर्ष 2009 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में संशोधन करते हुए ''नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2009'' जारी किया गया। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसके प्राइमरी रोल ''बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से सुरक्षा'' के साथ ही सैकेण्डरी रोल ''आपदा प्रबन्धन'' भी कर दिया गया।

भाग –।।
अलवर जिले की रूपरेखा

2.1 जिले का नक्सा

2.2 भौगोलिक स्थिति – भौगोलिक स्थिति – अलवर जिला मुख्यालय 27^{0}.53′ उत्तरी अक्षांश व 76^{0}.60′ पूर्वी देशान्तर एवं समूद्री सतह से 270 मीटर ऊपर स्थित है। इसके पूर्व में भरतपुर, पश्चिम में जयपुर, उत्तर में हरियाणा राज्य दक्षिण में दौसा जिले की सीमायें लगती हैं। अलवर को भारत सरकार द्वारा मल्टी हजार्ड जिला घोषित किया गया है जिससे यहां पर सूखा, गर्म हवायें, शीत लहरें, औद्योगिक आपदायें, सड़क व रेल दुर्घटनायें, बोरवेल दुर्घटनायें, भूकम्प, अग्नि दुर्घटनायें इत्यादि संभावित खतरे हैं। अलवर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी सम्मिलित है। जिले का कुल भोगोलिक क्षेत्रफल 4291.01 वर्ग कि॰मि॰ है।

अलवर का क्षेत्र अरावली पर्वत श्रेणियों व बहुसंख्या विलग शिखरों से घिरा हुआ है। अलवर राजस्थान के उत्तर पूर्व में अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अलवर जिला मुख्यालय जयपुर से 148 किलोमीटर व दिल्ली से 156 किलोमीटर दूर है। जिले की जलवायु शुष्क है तथा विभिन्न स्थानों पर सर्दी व गर्मी अत्यधिक होती है। जिले की अधिकांश नदियां बरसाती है। इनमें से रुपरेल व साबी महत्वपूर्ण है। रुपरेल थानागाजी से निकल कर सीकरी डैम भरतपुर तक बहती है। जिले में सीलीसेढ़ व जयसमंद दो मुख्य डैम हैं।

2.3 सामान्य जानकारी :– जिले में उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति/नगर निकाय/ग्राम पंचायत वार विवरण निम्नानुसार है :–

कुल जनसंख्या (2011 के अनुसार) 2004035	उप खण्ड 9	
भौगोलिक क्षेत्रफल 4291.01 किलोमीटर	तहसील 12	नगर निगम 1
कुल जनसंख्या अनुमानित 2510541	पंचायत समिति 10	नगर पालिका 11
लोकसभा क्षेत्र 1	ग्राम पंचायत 293	
विधानसभा क्षेत्र 6	राजस्व ग्राम 1170	

विधानसभा क्षेत्र
अलवर शहर
अलवर ग्रामीण
कठूमर
राजगढ–लक्ष्मणगढ
रामगढ
थानागाजी

उपखण्ड
अलवर
कठूमर
लक्ष्मणगढ
राजगढ
रामगढ
रैणी
थानागाजी
मालाखेडा
गोविन्दगढ

नगर पालिका
खेडली
लक्ष्मणगढ
राजगढ
रामगढ
बडौदा मेव
थानागाजी
गोविन्दगढ
खेडली
कठूमर
मालाखेडा
नौगांवा

पंचायत समिति
उमरैण
कठूमर
लक्ष्मणगढ
राजगढ
रामगढ
रैणी
थानागाजी
मालाखेडा
भनोखर
गोविन्दगढ

- नगर निगम, अलवर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं

आधुनिक चिकित्सा पद्धति	
मेडिकल कॉलेज	2
जिला अस्पताल	1
उप जिला चिकित्सालय	1
सैटेलाइट हॉस्पिटल	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	24
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	71
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5
कुल उप स्वास्थ्य केन्द्र	372
एक्सीडैन्टल ट्रोमा युनिट	1
MTC 10 Beded	2

आधुनिक चिकित्सा पद्धति	
प्रथम रैफरल केन्द्र	4
ब्लड स्टोरेज केन्द्र	3
104 जननी एक्सप्रेस	13
108 एम्बुलेंस सेवा	24
मेडिकल मोबाइल वैन	9
आरबीएसके टीम	18
आशा सहयोगिनी	1585
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत निजी चिकित्सालयों की संख्या	35
पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्यशील निजी चिकित्सालयों की संख्या	118

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं

आयुर्वेदिक पद्धति	
राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय	1
राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय	8
राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय	6
राजकीय आयुर्वेद औषधालय	177
योग एंव प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र	1
पंचकर्म केन्द्र	5
आंचल प्रसूता केन्द्र	2
जराअवस्था जन्य व्याधि निवारण केन्द्र	2

युनानी पद्धति	
औषधालय	6
चिकित्सालय	1

होम्यापैथिक पद्धति	
औषधालय	9
ब्लॉक औषधालय	7

शिक्षा

महाविद्यालय	
राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के अधीन	
राजकीय महाविद्यालय	20
निजी महाविद्यालय	79

विद्यालय	
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	547
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	515
राजकीय प्राथमिक विद्यालय	491
कुल नामांकन	197376
छात्र	85219
छात्राएं	112157

पुलिस

पुलिस	
पुलिस अधीक्षक	1
अति0 पुलिस अधीक्षक	4
वृत्ताधिकारी कार्यालय	7
थाने	26
चौकियां	28

जनसंख्या 2011							
क्र.स.	नाम तहसील	शहरी	ग्रामीण	कुल	पटवार हल्कों की संख्या	भू अभिलेख निरीक्षक की संख्या	ग्रामों की संख्या
1.	अलवर	348728	199566	548294	33	8	141
2	कठूमर	17634	227559	245193	40	10	155
3	गोविन्दगढ	11552	72557	84109	15	4	60
4	टहला	0	72180	72180	16	4	70
5	थानागाजी	0	96060	96060	17	5	69
6	प्रतापगढ	0	56998	56998	14	4	70
7.	नौंगांवा	0	85223	85223	14	4	68
8	मालाखेडा	0	155562	155562	21	5	103
9	रैणी	0	159521	159521	27	7	110
10	राजगढ	26631	98395	125026	19	5	67
11	रामगढ	13529	139599	153128	25	6	97
12	लक्ष्मणगढ	0	222741	222741	40	10	160
		418074	**1585961**	**2004035**	**281**	**72**	**1170**

2.4 <u>नदियां व बांध – अलवर नदियां व बांध –</u> जिले में स्थित मुख्य नदियों एवं बांध व तालाबों का विवरण निम्नानुसार है :–

- **<u>रुपरेल</u>** :– रुपरेल थानागाजी से निकल कर सीकरी डैम भरतपुर तक बहती है।
- **<u>बाण गंगा</u>** :– यह नदी बैराठ तहसील की पहाडियों से निकलती है यह सदैव बहने वाली नदी है। यह जयपुर के जमवारामगढ़ से होते हुए अलवर व दौसा जिलों से बहती भरतपुर जिले में चली जाती है।

2.5 **<u>जिले में बांध व तालाब</u>** :– जिले में कुल 18 मुख्य बांध/तालाब तथा 45 छोटे बांध/तालाब हैं। (सूची संलग्न है)

<u>2.6 परिवहन</u> :–

- **<u>वायु मार्ग</u>** – अलवर के सबसे नजदीक 150 किलोमीटर दूर सांगानेर (जयपुर) हवाई अड्डा है।
- **<u>रेल मार्ग</u>** – अलवर रेल मार्ग से जयपुर, दिल्ली व मथुरा के माध्यम से देश के लगभग सभी राज्यों में यात्रा की जा सकती है।
- **<u>सड़क मार्ग</u>** – जिला मुख्यालय कई राज्य उच्च मार्गों से एवं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से भी जुड़ा हुआ है।

6 <u>जिला प्रशासन की सूची</u>

नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नं.		
		कार्यालय नं.	निवास	मोबाइल नं०
डॉ० आर्तिका शुक्ला	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर	2337565 2336101	2337566	7311130030
श्री शील सिंधु पाण्डेय	वी.सी., मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर	2730327		9424526757
श्री संजीव नयन	जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर	2337453		9414273366
सुश्री धिगदे स्नेहल नाना	सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर	2700456	2701288	9834673761
श्री सालुखे गौरव रविन्द्र	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर	2700962 2700003	2701722	7350985637
	सहायक कलक्टर (प्रशिक्षु आई.ए.एस.)			
श्री मुकेश कायथवाल	अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर	2701725	2344429 2700197	9829600441

श्री योगेश डागुर	अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर	2347125	2337237	9829858797
श्रीमती बीना महावर	अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर), अलवर	2345077	2337166	9875073829
श्री विनोद कुमार जुनेजा	जिला रसद अधिकारी, अलवर	2344553		9414333399
श्री मुकुल दीक्षित	(का०) सहायक निदेशक, लोक सेवायें (ए.डी. पी.एस.) अलवर			9672193355
श्री सोहन सिंह नरूका	उप सचिव एवं विशेषाधिकारी (भूमि), नगर विकास न्यास, अलवर	230819		8094125050
	भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर			
श्री सोहन राम चौधरी	भू.प्रबन्ध अधिकारी, अलवर	2700585		98286 77977 70141 61919
श्रीमती संजू शर्मा	राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	2944433		9414358883
श्री संजय गोयल	उप महानिरीक्षक, पंजी. एवं मुद्रांक अलवर	2344634		9001200891
श्री संजय गोयल	उप महानिरीक्षक, पंजी. एवं मुद्रांक II अलवर	2736212		9001200891
श्री जीतेन्द्र सिंह नरूका	आयुक्त, नगर निगम, अलवर	2701364		9414641041 8239010915
	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अलवर			
श्रीमती अर्चना जैमन	जिला आबकारी अधिकारी, अलवर	2732400	2342481	9413471531
सुश्री रितू जैन	मुख्य लेखाधिकारी कलैक्ट्रेट अलवर			9461578374
श्री रूप बसन्त शर्मा	उप विधि परामर्शी कलक्ट्रेट, अलवर			8696722000
श्री लोकश मीना	रजिस्ट्रार, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर	2730327		9680024241
श्री गोपाल कालरा	कन्ट्रोलर फाईनेन्स, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	2730327		9413906381
श्री सतीश कुमार	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अलवर	2731335	2700594	9414257713

श्री सुरेश कुमार यादव	जिला परिवहन अधिकारी, अलवर	2731382		8560020480
श्री ललित कुमार	अति.आर.टी.ओ., अलवर	2731335		9829261332
श्रीमती सविता भारद्वाज	जिला परिहन अधिकारी (प्रवर्तन), अलवर			9024593123
श्री मनीष कावंत	अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी (एडीआईओ) एनआईसी अलवर	2701052		9460474720

जिला स्तरीय अधिकारीगण, जिला अलवर (राज०)

नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नं.		
		कार्यालय नं.	निवास	मोबाइल नं०
डॉ० योगेन्द्र शर्मा	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलवर	2340145 5120366 फै	2338339	9414231765
डॉ० सुनील चौहान	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	2345087	2701736	9414640961
डॉ० करन सिंह दहिया	उप निदेशक, आयुर्वेद अधिकारी अलवर	2700215		9414907732
श्री मेघराम मीणा	संयुक्त आयुक्त, जिला उधोग एवं वाणिज्यक केन्द्र अलवर	2700268		9414250241
श्री संजय प्रधान	सहायक आयुक्त, जिला उधोग एवं वाणिज्यक केन्द्र अलवर			9829599100
श्री राजकुमार	कोषाधिकारी, अलवर	2700016		9461740162
श्रीमती रेखा रानी व्यास	जिला परियोजना प्रबन्धक, (NRLM) आजीविका परियोजनाऐं एवं स्वयं सहायता समूह			8947074357 9571125512
श्री प्रदीप नांगलिया	मुख्य आयोजना अधिकारी, अलवर	2701623		9024332260
श्रीमती प्रियंका माथुर	उप निदेशक, सांख्यिकी विभाग, अलवर	2337827		9829137992
श्री मनोज मेहरा	जिला जन सम्पर्क अधिकारी, अलवर			9887165912
श्री छगन यादव	सहायक जिला जन सम्पर्क अधिकारी, अलवर			9461277595

श्रीमती टीना यादव	सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, अलवर	2347348		9887139926
श्री संजय कुमार	सहायक पर्यटन अधिकारी, अलवर	2347348		9928347657
श्री नीरज शर्मा	क्षेत्रीय अधिकारी, पॉल्यूशन कन्ट्रोल अलवर	2372996		9414120532
श्री संग्राम सिंह कटियार	सी.एफ.सरिस्का मु० अलवर	2701484		7728980366
श्री अभिमन्यु शरण	उप वन संरक्षक, सरिस्का, अलवर			9971868805
श्री राजेन्द्र हुड्डा	उप वन संरक्षक, अलवर	2701923	2701536	9414061240
श्री जगदीश दहिया	उप वन संरक्षक (सरिस्का बाघ परियोजना विस्थापन)			9413689972
श्री लक्ष्मण सिंह	उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर	2344012		9001601344
श्री संजय वर्मा	(का०) सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण अधिकारी (आईसीपीएस) अलवर	2732376		8890315660
सीमा कुमारी	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अलवर	2330136		9636629957
	सहायक निदेशक, रोजगार अलवर	2348070	2702602	
श्री रमेश चन्द मीना	सयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, अलवर			9414280474
श्री मुरारी लाल मीना	उप निदेशक, पशुपालन विभाग, अलवर	2701764		9414793742
श्री संजीव दास	संयुक्त निदेशक, जी.पी.एफ अलवर	2980410		7742261037
श्री पी.सी. मीना	संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग अलवर	2337981 2702093		9602132675
श्री कन्हैया लाल मीना	सहायक निदेशक, उद्यान अलवर	2333308		9414427348
श्री नरेश यादव	रीजनल डिप्टी डायरेक्टर, कृषि विपणन विभाग, अलवर			9413145945
श्री नरेश यादव	(का०) सचिव, मण्डी समिति अलवर			9413145945

श्रीमती अन्जू	अति० सचिव, मण्डी समिति अलवर			9887464931
श्री गुलाब मीना	उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति अलवर	2343398		9660933170
श्री रंजीत सिंह	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, अलवर	2338527	2338527	8800677893
श्री महेश चन्द सोनवाल	जिला मत्स्य विकास, अलवर	2330209		7892385699
श्री महेश गुप्ता	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास, विभाग अलवर	2342522		9414593253
श्री ऋषिराज सिंघल	उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग अलवर	2342522		9414638263
श्री मुकेश कुमार गुप्ता	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर	2346322		9828758449
श्री मनोज शर्मा	(का०) जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अलवर	2345802 2335375फै0		9414857390
श्री सुबेसिंह यादव	(का०) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा अलवर	2347851		9461247214
श्री भूपेन्द्र द्विवेदी	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, अलवर	2736092		9785622324
श्री राकेश चौधरी	उप श्रम आयुक्त, अलवर	2334806		8005517822 9950975823
श्री भूरीसिंह	अधीक्षण अभियन्ता–सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत अलवर			9461406739
श्री भवानी सिंह शेखावत	अति. मुख्य अभि. एनसीआर पी.एच.ई.डी. अलवर	2700336	2700259	9414413159
श्री दिनेश वर्मा	अधीक्षण अभियंता, पी.एच.ई.डी. एन.सी.आर. वृत अलवर			9828426880
श्री रमेश सैनी	अधीक्षण अभियन्ता, पी.एच.ई. डी., वृत अलवर	2700336		9413304430
श्री सुधीर पाण्डेय	अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.(जे. वी.वी.एन.एल), अलवर	2701960, 2337992	2371786	9413390509 9079932877
श्री महिपाल सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रसारण निगम लि.(आर.वी.पी. एन.एल.) , अलवर	2703332		9413391302

श्री संजय खत्री	अधिशाषी अभियन्ता, जल संशाधन विभाग, अलवर	2344645		9460374918
श्री मनोज शर्मा	खनि. अभियन्ता, अलवर			9414351741
श्री जगमोहन मीणा	डिप्टी चीफ इन्स्पेक्टर, कारखाना बॉयलर्स अलवर	2980729		9453007119
श्री रूपेन्द्र कुमार	निरीक्षक, कारखाना बॉयलर्स, अलवर			9437495436
श्री बाबू लाल पालरिया	लीड बैंक ऑफिसर, पी.एन.बी., अलवर	2338584, 2702997		7300033446
श्रीमती मीनाक्षी मीणा	डी.डी.एम. नाबार्ड बैंक	2337971		9772772134
श्री विनोद गोधल	अधीक्षक, संग्रहालय अलवर	2331122		9530030026
श्री नीरज त्रिपाठी	अधीक्षक, पुरातत्तव विभाग, जयपुर			9887722199
श्री शिव कुमार सैनी	सहायक निदेशक, खेल प्राधिकरण अलवर	2701122		9729745787
श्रीमती अंजना शर्मा	जिला खेल अधिकारी, अलवर			7983149195
श्री रमेश	संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग, अलवर			8559975883
श्रीमती नीतू बसवाल	उप निदेशक, सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग, अलवर			8426874416
श्री महेन्द्र कुमार	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर			9829253541
श्री सुमित वर्मा	निरीक्षक, देवस्थान अलवर			6378626209 9982239203
श्री सन्तराम मीना	अधीक्षक, गार्डन अलवर			9351373760

अन्य अधिकारीगण, जिला अलवर (राज०)

नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नं.		
		कार्यालय नं.	निवास	मोबाइल नं०
श्री परेश सक्सेना	एस.आर.एम. रीको, अलवर	2700513		9414041192
श्री राजेन्द्र मीना	सीओ, स्काउट अलवर			9166806077 8003097053
श्रीमती सुनीता यादव–।।।	(का०) प्रबंध निदेशक, सरस डेयरी, अलवर			9772950365
श्रीमती संध्या सैनी	उप नगर नियोजक, अलवर			9352215426

श्री पी.एल. मीना	उप आवासन आयुक्त			9983993863
श्री ताराचन्द मेघवाल	उप.आयु. (प्रशा.) वाणिज्यक कर विभाग, अलवर	**144-2731642, 2731641**		9460002246
श्री हरिओम मीना	स.आ., वृत–'अ' वाणिज्यक कर विभाग, अलवर	**144-2731048**		7340034388
श्री अजय जांगिड़	जिला कौशल समन्वयक, आरएसएलडीसी, अलवर			7689090950
श्री राकेश गुप्ता	जिला परियोजना अधिकारी, (डे–एनयूएलएम) अलवर			9413165324
श्री यतेन्द्र शर्मा	जिला परियोजना प्रबंधक, डे–एनयूएलएम, अलवर			7073720094
श्री समरजीत सिंह राना	मैनेजर, सर्किट हाऊस, अलवर	2700650 2940520		9829232429
श्री महेश भाटिया	सहायक लेखाधिकारी, सहायता शाखा			8919205542
श्री रजनेश अरोडा	सहायक लेखाधिकारी कलैक्ट्रेट अलवर			9413446551
श्री ताराचन्द	स्टेशन अधीक्षक, रेलवे स्टेशन अलवर	0144-234382		9001199034
श्री निखिल कुमार	ए.डी.एन, रेलवे अलवर (आर.ओ.बी.)			9001199211
श्री रामवतार मीना	प्रोग्राम हैड, आकाशवाणी केन्द्र, अलवर			9460333346
श्री नीरज भगत	कार्यक्रम अधिशाषी आकाशवाणी केन्द्र, अलवर			9414261259
श्री शिव कुमार शर्मा	कार्यक्रम अधिशाषी आकाशवाणी केन्द्र, अलवर			9414305260
श्री कुलदीप शर्मा	मुख्य प्रबंधक, राजस्थान रोडवेज, मत्स्य नगर आगार अलवर			9549653196
श्री यश प्रधान	प्रबंधक (यातायात), राजस्थान रोडवेज, मत्स्य नगर आगार			9549653197
श्रीमती सपना मीणा	मुख्य प्रबंधक, राजस्थान रोडवेज, अलवर आगार			9549653208

श्री मुन्ना लाल शर्मा	प्रबंधक (यातायात), राजस्थान रोडवेज, अलवर आगार			9549653209
डॉ० दिनेश सूद	प्रिंसीपल, मेडिकल कॉलेज, अलवर			9814020817
डॉ० असीम दास	डीन, ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल एम.आई.ए. अलवर			7838182228
डॉ० सुमिधा सूद	अधीक्षक, ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल एम.आई.ए. अलवर			9999302616
श्री यशोधर पारिक	उप निदेशक, इनकम टैक्स, अलवर			9643419625
श्री लीला राम	एल.एफ.एम., सिविल डिफेंस, अलवर			8290026219
श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़	सीनियर हाईड्रालोजिस्ट, भूजल सर्वे एण्ड रिसर्च अलवर	2346139		9462361304
श्री अभिमन्यु सिंह	भूजल वैज्ञानिक, भूजल सर्वे एण्ड रिसर्च अलवर	2346139		7597030867
श्री योगेश मनत	हाईड्रालोजिस्ट भूजल सर्वे एण्ड रिसर्च अलवर	2346139		9549825077
श्री कैलाश चन्द	कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक नोड़ल अधिकारी अटल भूजल योजना, अलवर			8561030292
श्री मनीष मीणा	अधिशाषी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/ड्रिलींग विभाग, अलवर	2370005		8769969273
श्री जब्बार	प्रवर अधीक्षक, मुख्य डाकघर, अलवर			9057215489
श्री मनोज श्रीवास्तव	परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट रोड़ डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी), अलवर			9414366892
श्री प्रकाश नारायण झा	महाप्रबंधक, उपभोक्ता भण्डार अलवर			9928132804 7014195394
श्री प्रमोद कुमार कौशिक	परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई., पी. आई.यु. सोहना			8130006120

श्री पंकज मुदगिल	परियोजना निदेशक, रीडकोर			9878801013
श्री नरेन्द्र कुमार मोठू	अधीक्षण अभियन्ता, वाटरसेड, जिला परिषद्, अलवर			9571771595
श्री देवीदास बैरवा	एम.डी. सीसीबी, अलवर			9166171968
श्री संजय सिंह	अधिशाषी अभियंता, पी.एच.ई.डी. एन.सी. आर. वृत अलवर			9414681022 6375213191
श्री आवेश सिंह	उप निदेशक, अभियोजन, अलवर			8949418046
श्रीमती शारदा गोयल	सहायक निदेशक, न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो अलवर			9414361590 7014914021
श्री खेमराज मीना	अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम अलवर			9694097353
श्री शिवेन्द्र शर्मा	अधीक्षक (जेल), कारागृह अलवर			9461993929
श्री कपिल भारद्वाज	जिला टी.बी. अधिकारी			7568097735
श्री संदीप शर्मा	उप निदेशक, कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा), अलवर			9414960952
श्री सुनील पारिक	प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति विभाग(Civil Supply), अलवर			92521 28986
श्री रविन्द्र जाधव	डीएम, एफसीआई, अलवर			7860819359
श्री सुवीन कुमार	एजीएम, एफसीआई अलवर	2341563 2701423 2332112 एफ		9060069444
श्री उत्तम चन्द शर्मा	प्रबंधक, सीलीसेढ़			9413060629 9351777659
श्री नवीन गोयल	मैनेजर, वेयर हाउसिंग अलवर	2332226		9413385733
श्री राजदीप सिंह	कर्नल, सेना भर्ती कार्यालय, अलवर			8149331613
श्री कालूराम चौधरी	पुस्तकालय अध्यक्ष, राजकीय पुस्तकालय, अलवर (एस.एम.डी. सर्किल, अलवर)			9001639229
श्री अशोक आर्य	प्राचार्य, बाबूशोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर	2732336		9414789734
डॉ. मंन्जू यादव	⁄प्राचार्य गौरीदेवी छात्रा राजकीय महाविधालय अलवर			8949616592 9694096239
डॉ. गोपीचन्द पालीवाल	प्राचार्य, राज ऋषि महाविद्यालय, अलवर	2700772		9982088111

श्री सत्यभान यादव	प्राचार्य, राजकीय वाणिज्यक महाविद्यालय, अलवर	2332168		9414640411
श्री छगन लाल योगी	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अलवर			9413689678 6377660500
श्री मनोज अग्रवाल	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर			9887227628
	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बडौदामेंव			
श्री दिनेश गर्ग	महाप्रबंधक, दूर संचार केन्द (बी.एस.एन. एल.) अलवर	1442345000		9414000440
श्री महेन्द्र कुमार मीना	एस.डी.ई. (ऑपरेशन) दूर संचार केन्द (बी. एस.एन.एल.) अलवर			9414005961
श्री नितिन खेतावत	एस.डी.ई. (ऑपरेशन) दूर संचार केन्द (बी. एस.एन.एल.) अलवर			9423993247

(उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर)

अधिकारी का नाम	पद	दूरभाष नं.			
		कार्यालय		निवास	मोबाईल नं.
श्री यशार्थ शेखर	उपखण्ड अधिकारी, अलवर	144	2347033	2700197	9717037436
सुश्री नवज्योति कॅवरिया	उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा				9079772514
श्री सुरेन्द्र प्रसाद	उपखण्ड अधिकारी रामगढ	1468	232405	231025	9828515746
श्री सुभाष यादव	उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़				7891209074
श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार	उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ	1492	233340	233344	9950540470
श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल	उपखण्ड अधिकारी, कठूमर	1492	260826		9799370929
श्री हरकेश मीणा	उपखण्ड अधिकारी, राजगढ (का०)	1464	220094	220095	9610208710
श्री हरकेश मीणा	उपखण्ड अधिकारी, रैणी	1464			9610208710
श्रीमती पिंकी	उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी	1465	224047	224171	8306408878
श्रीमती सुनिता यादव	सहायक कलक्टर अलवर		2703020		9772950365
(तहसीलदार)					
श्रीमती रश्मी शर्मा	तहसीलदार अलवर	144	2700473		6375333856
श्री अंकित कुमार	तहसीलदार रामगढ	1468	232004		9461222561

श्री मांगी लाल मीना	तहसीलदार नौगॉवा				9511517299
सुश्री मेघा	तहसीलदार मालाखेडा				6376524009
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह नरूका	तहसीलदार राजगढ	1464	220054		
श्री शरद राठिया	तहसीलदार टहला				9413435936
श्री कैलाश चन्द मेहरा	तहसीलदार रैणी				9950953875
श्रीमती ममता कुमारी	तहसीलदार लक्ष्मणगढ	1492	233032		9414945223 9024075633
श्री राजेन्द्र यादव	तहसीलदार गोविन्दगढ				
श्री मदन सिंह	तहसीलदार कठूमर	1492	260066		9660952236
श्री मोहित पंचोली	तहसीलदार थानागाजी	1465	224224		9882554626
श्री दाताराम गुर्जर	तहसीलदार प्रतापगढ				9636666255
	तहसीलदार भू0अ0				
	तहसीलदार निर्वाचन				
श्री अनिल शर्मा	प्रधानाध्यापक (तहसीलदार), पटवार ट्रेनिंग सैन्टर, अलवर	144			7976192257
	तहसीलदार, भू०प्रबंध, अलवर				
सुश्री मोनिका शर्मा	(का०) उप पंजीयक I अलवर		2701058		8947828010
सुश्री मोनिका शर्मा	उप पंजीयक, II अलवर	144	2701509		8947828010
(नायब तहसीलदार–स्वतंत्र प्रभार)					
श्री छोटेलाल मीना	नायब तहसीलदार, बडौदामेंव				6377062074
श्री लालचन्द	नायब तहसीलदार, साहडोली				9414680224
श्री मुकेश कुमार	नायब तहसीलदार, भनोखर				9784225335
श्री बलवन्त सिंह	नायब तहसीलदार, बहादुरपुर				9352020037
श्री दिनेश मीना	नायब तहसीलदार, खेड़ली मण्डी				9024895373
श्री विजय सिंह मीना	नायब तहसीलदार, कस्बा डहरा				9462991669
श्री खेमचन्द सैनी	नायब तहसीलदार, बांबोली				9414681219

(विकास अधिकारी)

श्रीमती आरती गुप्ता	विकास अधिकारी, उमरेण	144	2886203		9057573836
श्री लेखराज सैनी	विकास अधिकारी, गोविन्दगढ				9828216426
श्री गोविन्द सिंह	विकास अधिकारी, मालाखेडा				8949005325

शेखावत					
श्री विक्रम सिंह गुर्जर	विकास अधिकारी, राजगढ	1464	220027		9784583011
श्री विजय कुमार भाल	विकास अधिकारी, रामगढ	1468	232030		9575693866
श्री राधेश्याम मीना	विकास अधिकारी, रैणी	1464	242022		9414790501
श्री बाबूलाल यादव	विकास अधिकारी, लक्षमणगढ	1492	233017		8003930050
श्री अमीर अली	विकास अधिकारी, थानागाजी	1465	224320		9460990926
श्री बच्चूसिंह	विकास अधिकारी, कठूमर	1492	260045		8619007048

भाग – III

3.1 नागरिक सुरक्षा सेवायें – नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत हवाई हमले नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (Revised Edition 2011) एवं नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त (Revised Edition 2003) के तहत हवाई हमला एवं अन्य आपदाओं के दौरान जान व माल की सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु, नागरिक सुरक्षा कार्यों को निम्नानुसार 12 सेवाओं में विभक्त किया गया है :–

क्र. सं.	सेवा का नाम	नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की अधिकृत नफरी	वर्तमान में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक
1.	मुख्यालय	–	–
2.	संचार सेवा	285	8
3.	वार्डन सेवा	1458	32
4.	अग्निशमन सेवा	10868	92
5.	प्रशिक्षण सेवा	14350	10
6.	हताहत सेवा	625	32
7.	बचाव	416	0
8.	साल्वेज सेवा	117	0
9.	पूर्ति सेवा	90	0
10.	डिपो व परिवहन सेवा	70	0
11.	कल्याण सेवा	728	0
12.	शव निपटान सेवा	78	0
	योग	29085	174

नॉट :– रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी 2009 के तहत नागरिक सुरक्षा की आपदा प्रबन्धन में अतिरिक्त भूमिका दिये जाने के उपरान्त, भारत सरकार द्वारा गठित कमेठी द्वारा उक्त 12 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के स्थान पर निम्नानुसार 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के गठन की सिफारिश की गयी है :–

1. मुख्यालय व संचार सेवा
2. वार्डन सेवा

3. हताहत सेवा
4. प्रशिक्षण सेवा
5. अग्निशमन सेवा
6. बचाव व साल्वेज सेवा
7. कल्याण सेवा

(इसके साथ ही उक्त 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अतिरिक्त जन–जागरुकता कार्यक्रम (Public Awarness) एवं सामुदायिक क्षमतावर्द्धन (Community Capacity Building) जैसे अतिरिक्त कार्य भी नागरिक सुरक्षा के माध्यम से संचालित किये जा सकेंगे।)

3.2 नागरिक सुरक्षा सेवा के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों का मनोनयन – नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 5(I) में प्रदत्त शक्तियों नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा सेवाओं के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मनोनीत किये गये हैं :–

क्र.सं.	नाम सेवा	पद	दूरभाष नम्बर
1.	मुख्यालय	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा	7311130030
2.	संचार सेवा	मुख्य प्रबन्धक, भारत संचार निगम लि.	9414002153
3.	वार्डन सेवा	मुख्य वार्डन, नागरिक सुरक्षा	8290026219
4.	अग्निशमन सेवा	आयुक्त नगर निगम	9414641041
5.	प्रशिक्षण सेवा	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा	98298558797
6.	हताहत सेवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी	9414003317
7.	बचाव	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग	9461406739
8.	साल्वेज सेवा	जिला कोषाधिकारी	9461740162
9.	पूर्ति सेवा	जिला रसद अधिकारी	9414333399
10.	डिपो व परिवहन सेवा	जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	08560020480
11.	कल्याण सेवा	जिला समाज कल्याण अधिकारी	9001601344
12.	शव निपटान सेवा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम	7350985637

4. मुख्यालय सेवा (Headquarter Service) – मुख्यालय व संचार सेवा के अन्तर्गत नियत्रंक (जिला कलक्टर) द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रदत शक्तियों, अधिकारों व नियमों के आधार पर नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के लिए सम्बधित सरकारी तन्त्र को

आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जाकर आम जनता के मनोबल/जानमाल की क्षति को कम से कम करने के लिए कार्य विकेन्द्रित कर नियन्त्रित किया जाता है।

4.1 **<u>नियंत्रक (Controller)</u>** – राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम (27) 1968 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को जिले में नागरिक सुरक्षा का ''नियंत्रक'' नियुक्त किया गया है। नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के कार्य निम्नानुसार हैं रू.

- जिले की नागरिक सुरक्षा की योजना और उसके कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखना।
- नागरिक सुरक्षा कार्यों के तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक की भूमिका निभाना।
- विभिन्न उप–नियंत्रण केन्द्रों के बीच या निकटवर्ती क्षेत्रों से पारस्परिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- स्थिति की पर नियंत्रण हेतु समस्त सेवा प्रभारियों व संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देनें एवं इसकी जानकारी उच्च–अधिकारियों को भेजने का कार्य।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंधन का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आकडें तैयार रखवाना।
- बाहरी आक्रमण की स्थिति में हवाई हमले से होने वाले संभावित खतरे एवं उससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 के तहत हवाई हमले से पहले, दौरान व बाद में किये जाने वाले उपाय/कार्य।

4.2 <u>मुख्यालय सेवा के कर्तव्य</u> :– नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (पृष्ठ 97 से 111 तक) के अनुसार मुख्यालय सेवा के कर्तव्यों को निम्नानुसार तीन भागो मे बॉटा गया हैः–

(क) <u>शान्तिकाल में कर्तव्य</u> :–

- नागरिक सुरक्षा संबंधी योजना पूर्ण रूप से तैयार करना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ ंके सभी उपकरण प्राप्त करना, सही रखना तथा उचित भण्डारण करना।
- नागरिक सुरक्षा की योजना के अनुसार नागरिको का प्रशिक्षित करना, सेवाओं को तैयार करना, उनका कार्य क्षैत्र निर्धारित करना।

- आवश्यक सेवाओं की आपातकालीन योजना बनाना।
- वाहनों की संख्या का आंकलन कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- वाहनों के ढांचे मे परिवर्तन आवश्यकतानुसार चाहिए तो उसका प्रबन्ध करना।
- आपातकालीन समय मे डीजल, पैट्रोल ,ऑयल ग्रीस तथा स्पेयर पार्टस की मॉग बढ जाती है। उनकी आपूर्ति हेतु योजना बनाना एवं नियन्त्रण में रखना।
- रोशनी पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश की आवश्यकता होने पर प्रकाश प्रतिबन्ध आदेश G.P.C.D. के पृष्ठ सं. 174 से 184 तक निर्दिष्ट है, को लागू कराना एवं उसका कड़ाई से पालन करना।
- हवाई हमलों के दौरान स्थानीय आर्मी के एक प्रतिनिधि को नियन्त्रण कक्ष मे बैठाने की व्यवस्था कराना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करना G.P.C.D.-में निर्दिष्टानुसार सेवा प्रभारियों को कार्य बॉटकर योजना बनाने मे मदद लेना।

(ख) <u>चेतावनी से पूर्व (प्रिकॉशनरी स्टेज) के कर्तव्य</u> :–

- नागरिक सुरक्षा उपायो का पूर्वालोकन करना।
- जनसाधारण को नागरिक सुरक्षा प्रबन्धो के संबधं मे विस्तार से जानकरी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- जनता को अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित करना।
- नागरिक सुरक्षा जन आवश्यकता हेतु निर्धारित मकानो के अधिग्रहण करने की सूचना देकर कार्यवाही करना।
- एडवाइजरी कमेटी (को–ओर्डीनेशन कमेटी)/नागरिक सुरक्षा सेवा प्रभारी अधिकारियों से विचार विमर्श कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा आवश्यक सेवाओं वाले भवनों/कार्यालयों को सुरक्षित करवाना।
- टेलीफोन विभाग को नागरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टेलीफोन की मांग देना।
- शान्ति काल मे किए गए सभी प्रयासो को मूर्तरूप मे तैयार रखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं से आवश्यक सहयोग हेतु बैठक करना।
- नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखवाना।
- आवश्यकता पड़ने पर पास वाले नागरिक सुरक्षा नगर से सहायता लेने की योजना बनाना।
- निष्क्रमण योजना की पूर्ण तैयारी करना।

- नागरिक सुरक्षा भण्डार की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य सरकार से उचित बजट प्राप्त करना।
- समयानुसार रिपोर्ट भिजवाना।

(क) <u>युद्व काल में कर्तव्य</u> :–

- समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयासों को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाना।
- सभी वांछित वाहन, मकान आदि का अधिग्रहण करना, सभी नागरिक सुरक्षा सेवाओं के आपसी तालमेल को देखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ को वांछित सामान उपलब्ध कराते रहना एवं उनका भण्डारण करना।
- पशु पक्षी आदि की सुरक्षा व्यवस्था निश्चित कराना।
- सभी नागरिक सुरक्षा उपायो का समय–समय पर निरीक्षण करते रहना।
- डीजल पैट्रोल ऑयल वाहन के पुर्जे आदि का भण्डारण सुरक्षित रखना।
- प्रकाश व्यवस्था की जनता में जानकारी देते हुए उसकी समय व्यवस्था को कडाई से लागे कराना।
- जन कार्यो हेतु वांछित भवन, कार्यालयो की समुचित सुरक्षा कराना।
- शैडो कन्ट्रोल रूम में आवश्यक साधनो की उचित व्यवस्था करना।
- समय–समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना एवं राज्य सरकार को भेजना।

5. <u>संचार सेवा (Communication Service)</u>

5.1 **<u>चेतावनी प्रणाली</u>** :– नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया गया है।

5.2 **<u>नियत्रण कक्ष</u>** – नागरिक सुरक्षा की विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्लापों का नियंत्रण करने के लिए, नागरिक सुरक्षा सेवाओं का आपसी सांमजस्य बनाये रखने के लिए तथा युद्व संबंधी सूचनाऐं एकत्रित कर उच्चाधिकारियों को सूचित करने के लिए, नियन्त्रक (जिला कलक्टर) एवं अन्य नागरिक सुरक्षा सेवाओं के ऑफिसर कमान्डिंग के साथ बैठ कर युद्व/आपदा की स्थिति की समीक्षा और उनको कार्य रूप देने के लिए इत्यादि हेतु चिन्हित स्थान में ''**नियंत्रण कक्ष**'' स्थापित किया जाता है, जहां से समस्त नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम के आधार पर जिले में नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रण केन्द्रों की स्थापन की जाती है।

5.3 **<u>चेतावनी प्रणाली</u>** – नागरिक सुरक्षा प्रयासों को सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए चेतावनी प्रणाली का सुव्यवस्थित होना, खतरे के उद्गम स्थल में चेतावनी की प्राप्ति तथा नियंत्रण

कक्ष से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों एवं जनता में आवश्यक चेतावनी का प्रसारण करना, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अभाव मे समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयास एवं प्रयत्न चाहे वे कितने ही सुदृढ, समुचित एवं सुव्यवस्थित क्यों न हो, निष्प्रभावी हो जायेगें। चेतावनी प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से बिना समय नष्ट किये सूचना को संबधित सेवाओं, स्वयंसेवकों तथा आमजन तक पहुचाया जाता है। चेतावनी प्रणाली को दो प्रकार की होती हैं :–

5.3(क) **बाह्य चेतावनी प्रणाली** (**External Warning System**):– चेतावनी प्रणाली द्वारा बिना समय नष्ट किये जैसे ही शत्रु के बम वर्षक विमान हमारी वायु सेनाओं के राडारों पर नजर आते हैं, उनकी सूचना वायु सेना जोधपुर के नियन्त्रण कक्ष ''एयर डिफेन्स डाइरेक्टिव सेन्टर, (ADDC)' से नागरिक सुरक्षा ''रीजनल सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर'' (RCDCC) जोधपुर एवं जोधपुर द्वारा ''सैकण्डरी सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर, (SCDCC) जयपुर को दी जाती है। जयपुर द्वारा उक्त सूचना ''टाउन सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर (ज्ब्क्ब्) अलवर को दी जाती है।

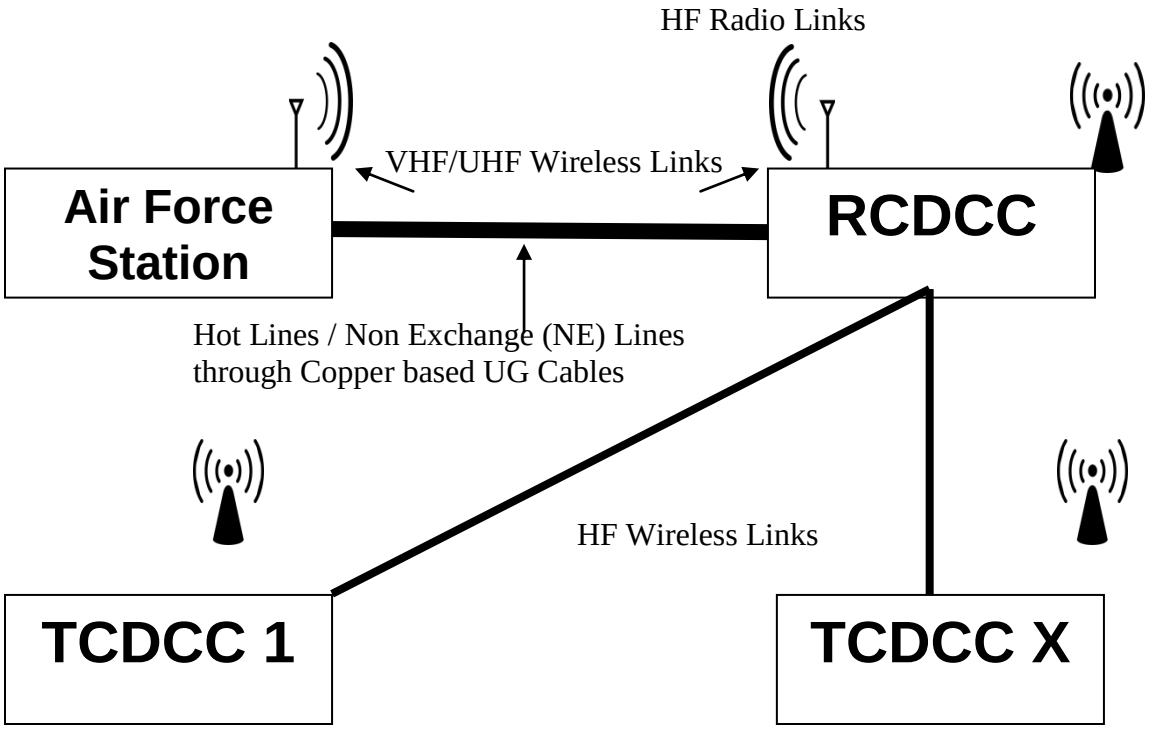

5.3(ख) **आन्तरिक चेतावनी प्रणाली** – बाह्य चेतावनी प्रणाली से प्राप्त सूचनाऐं स्थानीय आमजन तक देने की विधि के लिए समस्त जिला नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केन्द्रों पर ।त्व यंत्र (Air Raid Precausion Instrument) किये जाते हैं। इस प्रणाली से दो प्रकार से सूचनाए प्रसारित की जाती है।

(प) टेलीफोन

(पप) विद्युत सायरन

Internal Communication Schema

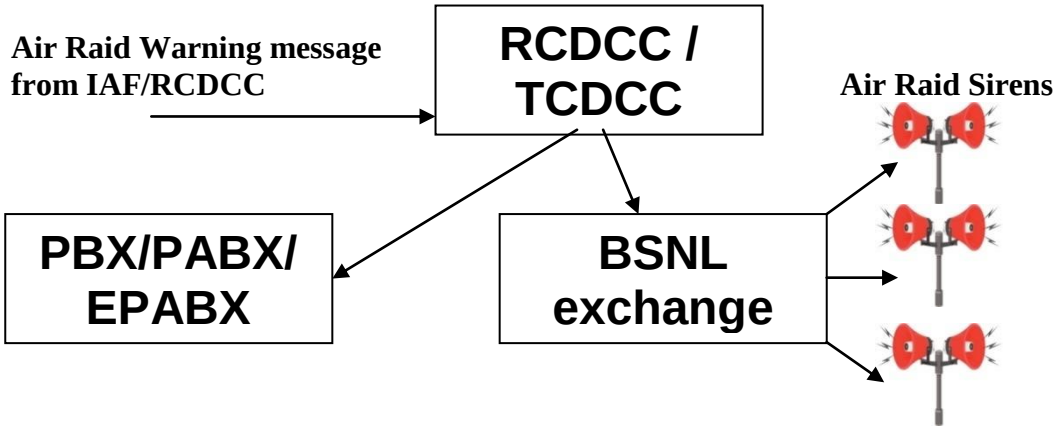

Message to Civil Authorities as per Emergency Communication Plan

- District Collector
- Police authorities
- Fire services authorities
- Emergency services authorities
- Hospital authorities etc and others

5.4 **नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली के साधन** :– समय–समय पर भारत सरकार की संचार नीति राज्य सरकार को प्रेषित कर नागरिक सुरक्षा में संचार साधन उलब्ध कराये जाते है। राज्य सरकार नीति अनुरूप संचार साधानों हेतु संचार निगम लिमिटेड में उपलब्ध नवीन तकनीक के साधनों की जानकारी एवं साधनों की उपलब्धता तथा उन पर होने वाले व्यय को मध्य नजर रखते हुए, अपने नागरिक सुरक्षा नगरों मे विभिन्न साधन उपलब्ध कराती है, जो निम्नानुसार हैः–

टेलीफोन :–

- बाहरी संचार व्यवस्था के तहत वायु सेना नियंत्रण कक्ष को रीजनल सिंविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर तक एक टेलीफोन नॉन एक्सचैन्ज लाईन से जोडा जाता है।
- आर.सी.डी.सी.सी से टी.सी.डी.सी.सी. तक व आगे एस.सी.डी.सी.सी. तक चेतावनी देने हेतु टेलीफोन की एन.ई. लाईन द्वारा विशेष सुविधा 'कान्फ्रेस कॉल फेसेलिटि' प्रदत की जाती है।
- टेलीफोन द्वारा ही शहर में विशेष अधिकारियों/वार्डन पोस्टों, कार्यालयों को एक साथ चेतावनी सूचना देने की सुविधा ''साइमलटेनियस ब्रॉड कास्ट फैसेलिटी'' द्वारा प्रदत कराई जाती है।

वायरलैस :– नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने राज्यों में नागरिक सुरक्षा नेट पर वायरलैस उपलब्ध कराये हैं ताकि टेलीफोन लाईन में खराबी आने पर वायरलैस से सूचना दी जा सके और निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण हो, सुनिश्चित किया जा सके।

मोटरसाईकिल :– आउट डोर संदेश स्थानीय स्तर पर भिजवाने हेतु उपरोक्त दोनो व्यवस्थायें ठप्प होने की स्थिति में नियंत्रण कक्ष से मोटर साईकिल द्वारा संदेश भेजे जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपात समय में परिवहन विभाग से आवश्यकतानुसार वाहन की मांग की जाती है।

5.5 **चेतावनी प्रणाली के संदेश** – नागरिक सुरक्षा में समय की बचत के लिए एवं सदेश की एक रूपता बनाये रखने के लिए संचार साधनो पर सीमित शब्दो के संदेश प्रसारित किये जाते हैं। ये निम्नानुसार है :–

हवाई हमला चेतावनी संदेश	कार्यवाही	किसके लिए होगा
''पीला''	तैयारी संदेश	केवल संबधित अधिकारियों को दिया जाना है।
''लाल''	खतरे का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
''हरा''	खतरा टलने का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
''सफेद''	हवाई हमला चेतावनी संदेशों को निरस्त करना	जिन्हें पीला संदेश की सूचना दी गयी उनको दी जानी है

6. वार्डन सेवा (Warden Service)

6.1 **वार्डन सेवा संगठन** – वार्डन सेवा नागरिक सुरक्षा की रीढ की हड्डी का कार्य करती है। जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों में से योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर उसी क्षेत्र के निवासी जो शारीरिक व मानसिक रुप से फिट/स्वस्थ हो व जिनके विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामले दर्ज/विचाराधीन नहीं हों, को संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रावधानानुसार वार्डनों (अवैतनिक ऑनरेरी पदाधिकारी) का चयन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन में उपलब्ध स्वयंसेवकों में से ही वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर वार्डनों का चयन प्रथम 03 वर्ष या उसकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता पूर्ण होने (जो भी पहले हो) तक संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाता है। उक्त वार्डनों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर, यदि नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा उचित समझे तो उनकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता का अगले 03 वर्ष के लिए नवीनीकरण करते हुए, उसे पुनः नागरिक सुरक्षा वार्डन नियुक्त कर सकता है। युद्ध/आपदा की

स्थिति में नुकसान को कम से कम करने, स्थानीय लोगों को नागरिक सुरक्षा व आपदा प्रबन्धन कार्यों में जागरुक करने व उन्हें नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित करने, उनका मनोबल बनाये रखने एवं क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा कार्यो को प्रभावी बनाये रखने इत्यादि को देखते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम एवं रिवेंपिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी के तहत भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार वार्डनों को मनोनयन किया जाता है :–

क्र.सं.	**वार्डन पदनाम**	**जनसंख्या/अन्य आधार**	
		नगरीय क्षेत्र	**ग्रामीण क्षेत्र**
1.	मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 01	
2.	अतिरिक्त मुख्य वार्डन		
3.	उप मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 02 (01 उप मुख्य वार्डन शहरी क्षेत्र व 01 उप मुख्य वार्डन ग्रामीण क्षेत्र)	
4.	डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
5.	डिप्टी डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
6.	पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
7.	डिप्टी पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
8.	सेक्टर वार्डन	4000 जनसंख्या पर 02	प्रति ग्राम पंचायत 02
उक्त वार्डनों में से आवश्यकतानुसार प्रति 50000 की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध वार्डनों में से ही 01 घटना अधिकारी मनोनीत किया जा सकेगा।			

6.2 **<u>वार्डन के कर्तव्य</u> –** वार्डन अपने क्षैत्र का परिचित, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वार्डन के कर्तव्य व कार्यो के मध्येनजर सोच समझ कर प्रभावशाली व्यक्ति का चयन वार्डन के लिए किया जाता है। वार्डन अपने व्यक्तिगत के प्रभाव से स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करता है। वार्डन का कार्य क्षेत्र नियमानुसार है :–

हवाई हमले/आपदा से पहले कार्य	**हवाई हमले/आपदा के दौरान के कार्य**	**हवाई हमले/आपदा के बाद कार्य**
वार्डन अपने क्षेत्र की दिन के समय के लिए एवं रात्रि के समय के लिए सम्पूर्ण जानकरी रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र के सभी परिवार जन की सम्पूर्ण जानकारी रखता है तथा एक हाउस होल्ड, रजिस्टर तैयार करता है। वार्डन आपदा के समय नागरिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा उपायो के लिए विभिन्न	वार्डन नियन्त्रण कक्ष से सूचना पर अपने क्षेत्र मे स्थित वार्डन पोस्ट पर अपनी उपस्थिति देता है। वार्डन अपने साज सामान से लैस होकर नागरिको को अपने क्षेत्र में सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह सहायको की मदद	वार्डन हवाई हमले के तुरन्त बाद क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत जानकरी लेता हैं। वार्डन अपने क्षेत्र में उपलब्ध/कार्यरत नागरिक सुरक्षा की राहत सेवाओं/अन्य बचाव दलों की जानकारी लेता है। वार्डन घटना के बाद आमजन में

स्थानो की जानकारी रखते हुए उनको वार्डन डायरी में लिखकर रिकॉर्ड तैयार रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र के लिए नागरिक सुरक्षा सेवाओ में स्वयं सेवक प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्र के लोगो को प्ररित करता है। वार्डन अपने अधीन गृह अग्निशमन दल के लिए स्वयं सेवको का चयन कर उनको नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षिण लेने के लिए प्रेरित करता है, नामों की सूची बनाकर प्रशिक्षिण अधिकारी को देता हैं। वार्डन आमजन को किसी भी आपदा से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा उपायो की जानकारी विस्तृत से समय–समय पर देता है। वार्डन अपने क्षेत्र में प्रशासन की सहायता पहुंचने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने हेतु ''सैल्फ हैल्प पार्टी'' तैयार करता हैं।	से देता है। वार्डन अपने क्षेत्र में सायरन नही सुनाई दिये जाने की स्थिति में अन्य साधनो से तदनुसार जानकारी देने का काम करता है। घटना स्थल पर नियन्त्रण के दौरान कार्य कर रहे विभिन्न दलों को कार्य क्षेत्र की जानकारी देने का कार्य, अधिकारियों व आमजन के मध्य सभी उचित सम्पर्क रखने का कार्य करते हैं।	फैले आंतक को रोकने व स्थानीय लोगों में आश्वासन व धैर्य बनाये रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं में आई रूकावटों को यथा संभव शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही करता है। वार्डन निंरतर नियन्त्रण कक्ष के सम्पर्क में रहता है।

7. <u>अग्निशमन सेवा (Fire Service)</u> – हवाई हमलों के दौरान अग्नि दुघर्टनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति से निपटनें के लिए निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का गठन किया गया है।

7.1 गृह अग्निशमन दल (House Fire Party) – आग लगने की स्थिति में आग को प्रारंभिक स्थिति में ही नियंत्रण किये जाने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए नागरिक सुरक्षा गृह अग्निशमन दलों का गठन किये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रति 1000 जनसंख्या पर एक 04 सदस्यीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के गृह अग्निशमन दल का गठन किया जावेगा, जो आग को बढ़ने से रोकने में सहायक होगा। ये दल उस क्षेत्र के नागरिक सुरक्षा वार्डन के अधीन कार्य करेंगे। इसके लिए उनको आवश्यकतानुसार अग्निशामक उपकरण उपलब्ध करवाये जावेंगे।

7.2 **<u>ट्रेलर पंप पार्टी</u>** – छोटी जगह पर अग्निशमन कार्य हेतु नागरिक सुरक्षा में प्रति 50,000 की जनसंख्या के आधार पर एक 09 सदस्यीय ट्रेलर पम्प पार्टी का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा के 09 स्वयंसेवक सदस्य होते हैं – लीडर – 01, फायरमैन – 06, वाहन चालक – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि।

7.3 नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा – बडी आग पर नियन्त्रण के लिए जिले में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के साथ ही नगरीय निकाय की फायर–बिग्रेड कार्यरत हैं।

8. <u>प्रशिक्षण सेवा (Training Service)</u>–किसी भी प्रकार के कार्य योजना की सफलता क्रियात्मक रूप तभी ले सकती है जब उन योजनाओ पर कार्य करने वाले व्यक्ति विधिवत प्रशिक्षित/जानकारी प्राप्त किये हुए हों। नागरिक सुरक्षा कार्यो में कुछ कार्य तकनीकी आधार पर सम्पादित किये जाते हैं, जैसे अग्निशमन, बचाव कार्य, घटना स्थल पर सर्वेक्षण दल का कार्य, प्राथमिक चिकित्सा दल का कार्य, संचार इत्यादि। नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत जनता के हित में जनता के द्वारा होने वाले कार्य में आपसी समन्वय, अनुशासन एवं राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता होती है। नागरिक सुरक्षा में संबंधित क्षेत्र इच्छुक सेवा भावी एवं कुछ तकनीकी जानकार व्यक्तियों का चयन कर उन्हें नागरिक सुरक्षा का बुनियादी व सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है।

8.1 <u>नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के उद्धेश्य</u>

- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए आम जन मे सही सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना।
- चयनित आम जन को शान्तिकाल एवं युद्व के समय नागरिक सुरक्षा कार्यो का विस्तृत प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक चिन्हित करना।
- स्वयंसेवको को उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों की जानकारी देना।
- स्वयंसेवकों द्वारा आम जनता मे अपेक्षित अनुशासन, संगठन की भावना उत्तपन्न कराना ताकि नागरिक, नागरिक–सुरक्षा के लिए सदस्य के रूप मे सामंजस्य से काम कर सकें।
- प्रशिक्षण कार्यो को शान्ति काल में उपयोगी बनाना ताकि आमजन अच्छे नागरिक के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक भी बन सके।
- स्वयंसेवकों को कर्तव्य निभाने के लिए अभ्यास कराना, तकनीकी जानकारी देना एवं नागरिक सुरक्षा की प्रक्रिया समझाना।
- स्वयंसेवकों की सहायता से नागरिकों में जन–जन तक स्वयं की सुरक्षा की जानकारी फैलाना।

8.2 <u>प्रशिक्षण की नीति</u>

जिला/नागरिक सुरक्षा ईकाइ स्तर पर	राज्य स्तर पर	राष्ट्रीय स्तर पर
बुनियादी प्रशिक्षण सेवा प्रशिक्षण	• नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राज.	• राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय/राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

सयुक्त प्रशिक्षण	जयपुर ● हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, राज. जयपुर	अकादमी, नागपुर ● केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, बैंगलोर ● राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM), दिल्ली
नॉट :– इसके साथ ही पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रतिपादित होना आवश्यक है ताकि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक पहले प्राप्त प्रशिक्षण को भूले नहीं व नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन संबंधित कार्यों का अपडेशन हो सके।		

9. <u>हताहत (चिकित्सा) सेवा (Casualty Service)</u> – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में जनता का मनोबल बनाये रखने के लिए हताहतों को तुरन्त चिकित्सा सहायता के तहत प्राथमिक उपचार देना, उन्हें नजदीकी अस्पताल भिजवाना, उनके परिवार को जानकारी देना व हताहतों का मनोबल बनाये रखना अतिआवश्यक है। इसके नागरिक सुरक्षा संगठन में चिकित्सा सेवा (हताहत सेवा) का गठन किया गया है। नागरिक सुरक्षा हताहत सेवा निम्नानुसार कार्य करती है :–

9.1 **<u>स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट</u> –** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रथम दो लाख के लिए 20,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से व दो लाख से अधिक आबादी की स्थिति में प्रति 40,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट बनायी जावेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :– डॉक्टर – 01, नर्स – 01, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 04 सदस्यीय प्राथमिक उपचार दल – 03, लिपिक – 01, सफाईकर्मी – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि होगा।

9.2 **<u>प्राथमिक चिकित्सा दल (नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक)</u> –** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार तीन दल प्रति स्थाई फस्ट एड पोस्ट के आधार पर (एक दल प्रति शिफ्ट हेतु) गठन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा प्राथमिक उपचार दल के सदस्य – लीडर – 01, प्राथमिक उपचार कर्ता – 03, वाहन चालक – 01 मय एम्बूलेंस के गठित किया जावेगा।

9.3 **<u>मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट</u> :–** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 06 लाख की जनसंख्या के आधार/आवश्यकतानुसार 01 मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट गठित की जा सकेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :– डॉक्टर – 01, नर्स – 01, प्राथमिक उपचारकर्ता – 01, वाहन चालक – 01 एवं सफाईकर्मी – 01 इत्यादि होगा।

9.4 **अस्पताल सेवायें** :–आपातकाल में घायलों को सही समय पर उच्चस्तरीय इलाज देना आवश्यक हो जाता है। नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 750 नागरिक सुरक्षा व्यक्ति के लिए एक बिस्तर के अनुसार योजना बनायी जावेगी।

10. बचाव सेवा (Rescue Service) – मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं व हवाई हमलों की स्थिति में क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हुए भवनों में फंसे/मलबे में दबे हताहतों को खोज व बचाव के तरीकों से बाहर निकालनें तथा उनमें से कीमती सामान को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर रखने इत्यादि कार्य किया जाता हैं।

10.1 **बचाव कार्य –** हवाई हमले एवं अन्य आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त भवनों में बचाव कार्य उक्त भवनों तकनीकि (भवनों की बनावट से सम्बधित) पर निर्भर है। उक्त भवनों से बचाव कार्यों के दौरान राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास निर्माण से संबंधित इंजीनियर, लेबर एवं भारी मशीनरी की सेवायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः नागरिक सुरक्षा बचाव सेवा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिले में उपलब्ध अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियंता को इस सेवा को प्रभारी बनाया जाना चाहिए। नागरिक सुरक्षा बचाव दल के स्वयंसेवक सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख रेख में प्रभावी बचाव कार्यों को करने में सक्षम हैं।

10.2 **बचाव दल का गठन –** जिले में बाहरी बचाव दलों के घटना स्थल पर पंहुचने से पूर्व स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले खोज व बचाव कार्यों के लिए, **प्र**ति **5**0,000 की जनसख्या के आधार पर आपदा व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के एक 08 सदस्यीय बचाव दल का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे – लीडर –01, बचाव कर्ता –06, वाहन चालक – 01 मय वाहन इत्यादि।

11. निस्तारण सेवा (Salvage Service) – नागरिक सुरक्षा का उद्वेश्य जान माल के नुकसान को कम से कम होने देना है। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब दुर्घटना के बाद लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित रख लिया जावे।

हवाई हमले/आपदा की स्थिति में, सूचना के बाद कई परिवार अपने घरों को बन्द कर अन्यत्र चले जाते हैं। हवाई हमले/आपदाओं की स्थिति में से कई मकान ध्वस्त हो जाते हैं व मकानों में रहने वाले घायल हो जाते हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिये जाते हैं। कई मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना क्षेत्र के परिवारों के रिश्तेदार समय की नाजुकता के कारण दुर्घटना स्थल पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में मकान बन्द व सूने रहते हैं। उन्हे बिना सुरक्षा के छोडने से असामाजिक तत्वों को अपना कार्य करने का मौका मिल सकता है। नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा आपदा के समय इस समस्या से निपटने के लिए पूर्व में ही प्रबन्धन करने के लिए, निस्तारण सेवा

का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य नामांकित सदस्यों की सहायता से लावारिस सामान को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना है।

11.1 **<u>निस्तारण सेवा के कर्तव्य</u>** :– हवाई हमले तथा आपदा/विपदा एवं घटना/दुर्घटना की स्थिति में क्षतिग्रस्त भवनों में दबे/लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा जिला प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जावेगा। निस्तारण सेवा के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं :–

- सूने, ध्वस्त, क्षतिग्रस्त मकान जिनके मालिक मौजूद नहीं हैं, उन मकानों में से कीमती, उपयोगी वस्तुओं को सुरक्षित निकालना।
- अभिरक्षित वस्तुओं का उचित सुरक्षित भण्डारण करना।
- प्राप्त की गई वस्तुओं का स्पष्ट लेखा जोखा रखना।
- मालिक/वारिस की उचित पहचान के बाद नियमानुसार वापिस सामान को सुपुर्द करना।

नोट :– घटना स्थल से प्राप्त कीमती सामान को जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कोष या अन्यत्र अभिरक्षा में रखे जाने की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

12. **पूर्ति सेवा (Supply Service) –** नागरिक सुरक्षा संगठन की क्रियाऐं, प्रक्रियाऐं आपातकालीन समय मे कई दिशाओ में भिन्न–भिन्न कार्यो के लिए होती है, जैसे –आगजनी, मलबे मे फंसे व्यक्त्यिों को निकालना, घायलों का प्राथमिक उपचार करना, हवाई हमले की सूचनाऐं देना, बेघर लोगों को राहत प्रदान करना आदि। इन कार्यो के लिए विभिन्न तकनीकि/साधारण सामान आदि की आवश्यकता होती है, जिनके प्रबन्धन की योजना पहले से ही तैयार करना आवश्यक है। इसके साथ ही बेघर लोगों के लिए स्थापित आश्रय स्थलों पर खाने–पीने के सामान की भी पूर्ति करना होता है। इसके लिए जिले में जिला रसद अधिकारी को नागरिक सुरक्षा पूर्ति सेवा का प्रभारी बनाया जाना उचित होगा।

13. <u>डिपो एवं परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)</u>

13.1 **<u>डिपो सेवा</u>** – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में घटना स्थल पर नियंत्रण व तत्काल नागरिक सुरक्षा की सेवाओं को भेजे जाने के लिए उक्त सेवाओं को मय आवश्यक उपकरण व वाहनों के किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित रखना, जहां से नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार घटना स्थलों पर भिजवाना होता है, इसके लिए प्रति 06 लाख की जनसंख्या/प्रति उपखण्ड स्तर पर 01 नागरिक सुरक्षा डिपो बनाया जावेगा। डिपो में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक तीन पारियों में उपलब्ध रहते है, जहां उन्हें आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वयंसेवकों के लिए सेवा वार उपकरण रखने की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाती है। स्वयंसेवकों के मनोरजंन के लिए कुछ साधनों की व्यवस्था कराई जाती है। साथ ही

स्वयंसेवकों को घटना स्थल तक लाने ने जाने के लिए समुचित वाहन डिपो में रहते हैं। डिपो के स्थान का चयन करते समय यह ध्यान मे रखा जाता है कि दुश्मन राष्ट्र के हमले के लिए टारगेट, आपदा से प्रभावित क्षेत्र, महत्वपूर्ण संस्थाओं के आस–पास डिपो स्थापित नहीं किया जावे।

डिपो मे उपलब्ध सेवायें – घटना पर तुरन्त नियन्त्रण करने हेतु विभिन्न कार्यो के दक्ष स्वयं सेवक सेवा वार डिपो में तीन पारी में उपलब्ध रहते है। डिपो में रहने वाली सेवाऐ निम्नानुसार है।

- प्राथमिक चिकित्सा दल मय वाहन
- बचाव दल मय वाहन
- अग्निशमन सेवा
- मोबाइल कैन्टीन सेवा
- मृतक निवारण दल मय वाहन
- साल्वेज टीम मय वाहन
- मोबाइल फर्स्ट एड पोस्ट मय वाहन
- स्थाई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के वाहन मय वाहन चालक
- घटना नियन्त्रण अधिकारी
- डिपो स्टॉफ
- यातायात सेवा का स्टॉफ
- सभी सेवाओं के लिए मैसिंग स्टॉफ

13.2 <u>ट्रान्सपोर्ट सेवा</u> – नागरिक सुरक्षा सेवाओं की कार्य कुशलता एवं गति युद्व/आपदा के दौरान स्वयंसेवको को तुरन्त घटना स्थल पर जनता की सहायता के लिए पहुंचने पर निर्भर करती है। यह कार्य उचित यातायात साधनों से संभव है। नागरिक सुरक्षा में ट्रान्सपोर्ट सेवा का गठन नागरिक सुरक्षा सेवाओं को समय पर वांछित भरोसेमन्द वाहन उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। ट्रान्सपोर्ट सेवा के मुख्य कार्य :–

- नागरिक सुरक्षा के कार्यो हेतु विभिन्न प्रकार के वांछित वाहन उपलब्ध कराना।
- सभी उपलब्ध वाहनों को दुरूस्त रखना।
- सभी वाहनों में ऑयल, डीजल की नियन्त्रित व्यवस्था रखना।
- सभी वाहनों का नियमानुसार बीमा करवाना।
- वाहनों की मरम्मत का कार्य सही समय पर करवाना।
- वाहनों के आवगमन का रिकॉर्ड रखना।
- सेवाओं की आवश्यकतानुसार यदि वांछित वाहन उपलब्ध नही है तो नियमानुसार ढॉचे में अस्थाई परिवर्तन करना।
- इस प्रकार के वाहन प्राप्त करना जिनके मालिक अधिक से अधिक राष्ट्र सेवा हेतु योगदान देने को तत्पर है।

14. <u>मृतक निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)</u> – हवाई हमलों/आपदाओं में कभी–कभी दुर्घटना स्थल पर अधिक संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। घटना के समय व्यक्ति अपने बचाव के लिए चिन्तित रहते हैं व मृतकों को छोड़ अन्यत्र चले जाते हैं। जिला प्रशासन व नागरिक सुरक्षा सेवाओं के सामने मृतकों के मिलने के दो कारण होते हैं–

- सीधे दुर्घटना की चपेट मे सम्पूर्ण क्षेत्र का आ जाना।
- घटना के बाद व्यक्तियों का अपने बचाव के लिए दुर्घटना स्थल से सब कुछ छोड़कर चले जाना। इससे दुर्घटना स्थल के आसपास बच्चे, अपाहिज व्यक्ति, अशक्त वृद्व रह जाते हैं। ऐसी स्थिति मे जनता का मनोबल कम होने की पूर्ण संभावनायें रहती हैं और महामारी फैलने का अन्देशा रहता है।

मृतकों की पहचान एक बड़ी समस्या है, जिसके मुख्य कारण शरीर का विकृत होना, शरीर जल जाना, कुचल जाना, मलवे में दबा होना, बन्द मकान में अधिक समय तक रह जाना, मृतक का अन्य क्षेत्र से आकर वहां रहना आदि। ऐसे में सभी मृतकों की पहचान न होने के बाद भी अपने प्रयासों से धर्म निर्धारण कर धर्मानुसार अन्तिम संस्कार करना इस सेवा का मुख्य कार्य है। उक्त स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन में घटना स्थल पर मृतकों के निवारण हेतु ''मृतक निवारण सेवा'' गठित की गई है। इस सेवा के कर्तव्य निम्नानुसार है :–

- घटना स्थल पर पूछताछ कर मृतकों की तत्काल पहचान करने का प्रयास करना।
- मृतकों का पंचनामा तैयार करवाना।

- प्रत्येक मृतक शरीर से मूल्यवान/पहचान के लिए आवश्यक वस्तु निकालकर उनका रिकॉर्ड रखते हुए संभाल कर रखना।
- प्रत्येक मृतक जिनके वारिस नहीं मिले की फोटो रिकॉर्ड मे रखना।
- मृतक की पहचान के लिए निम्नानुसार बिन्दुसार रिपोर्ट रखना :–

(अ) शव किस स्थान से प्राप्त हुआ।
(ब) शव के वस्त्र का विवरण।
(स) मृतक के लिंग, आयु, शारीरिक पहचान के चिन्ह, मृतक का रंग, आंखे का रंग, ऊंचाई आदि का विवरण।
(य) मृतक की ऊगलियों की छाप का रिकॉर्ड रखना।
(र) जिन मृतकों की पहचान नहीं की जा सकती है, के धर्म निर्धारण का विवरण।

15. <u>कल्याण सेवा(Welfare Service)</u> – आपदा/विपदाओं एवं हवाई हमले की स्थिति में प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता समय पर नहीं पंहुचने की स्थिति में आमजन अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगता है और जनता के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। लोग बेघर हो जाते हैं व उनका अपना सब कुछ नष्ट हो जाता है। परिवार के सदस्य बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार की महाविपतियों में पूरे समुदाय के जीवन को सामान्य बनाना ही प्रमुख कार्य रहता हैं ताकि आम जनता का मनोबल बना रहे। नागरिक सुरक्षा संगठन में इन कार्यो हेतु कल्याण सेवा का गठन किया गया है जिसके निम्नानुसार मुख्य कार्य है :–

- **सूचनाऐं एकत्रित करना** – प्रभावित लोगों की सही सूचना उनके संबंधियों देना अथवा आमजन में उपलब्ध कराई गई प्रशासनिक व्यवस्था की सूचना देना इत्यादि कार्य जिससे आमजन का मनोबल बना रहे।
- **बेघर लोगो का प्रबन्ध** – आश्रय स्थलों की स्थापना कर बेघर लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके भोजन वस्त्रादि की व्यवस्था करना।
- **निष्क्रमण की स्थिति** – ऐसी स्थिति में जहां खतरे की दृष्टि से अधिक असुरक्षा है उस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से ले जाने के लिए तथा मार्ग में गन्तव्य तक भोजन, पानी, औषधी, वस्त्र आदि तथा आवाजाही की सहायता प्रदान करना।

15.1 <u>कल्याण सेवा के कार्य</u>

(अ) सूचना एवं प्रसार :– सूचना केन्द्र को पूर्ण रूप से सूचित बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस विभाग, थाने, चौकियों, अस्तपताल, वार्डन पोस्ट, फर्स्ट एड पोस्ट को निर्देश जारी कर संबधित क्षेत्र की पूर्ण जानकारी सुचना केन्द्र में उपलब्ध रखी जावेगी। सभी सूचना केन्द्र अपनी सूचनाऐं मुख्य सूचना केन्द्र को देंगे।

- हवाई हमले से पहले व बाद में नागरिक सुरक्षा द्वारा किये गये सभी प्रकार के कार्यो की व्यवस्था की जानकारी जनता में देना ।
- हवाई हमले के बाद की सही स्थिति से जनता को अवगत कराना, घायल व मृतकों की जानकारी प्राप्त की सूची उपलब्ध रखना तथा जनता को जानकारी देते रहना।
- विभिन्न शिविरों तथा केन्द्रों की सूचना प्रसारित करना।

(ब) प्रसारण वाहन – आपातकाल में सूचनार्थ लेने–देने के कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु प्रत्येक सूचना केन्द्र पर प्रसार वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।

(स) आश्रय स्थल – आपातकाल में बेघर लोगों के अस्थाई निवास हेतु शहर की शालाओं, धर्मशालाओं को नागरिक सुरक्षा कार्यो हेतु अधिग्रहित किया जाकर जनता के लिए सुविधा मुहैया कराई जाती है। जब बडे पैमाने पर लोग घर छोड़कर जाने लगते हैं तो आश्रय स्थल की व्यवस्था करनी पड़ती है।

(द) आपातकाल भोजन केन्द्र – प्रत्येक केन्द्र पर इसके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था बनाये रखने के लिए दुकानों/संस्थानों को चिन्हित किया गया है ताकि दुर्घटना स्थल पर भोजन सामग्री की काला बाजरी मुनाफाखोरी रोकी जा सके। इसके अतिरिक्त आश्रय स्थल पर भोजन बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(य) मोबाइल कैन्टीन – दुर्घटना स्थल पर नागरिक सुरक्षा कार्य कर्ताओं व पीड़ित आमजन के लिए अस्थाई नाश्ते/भोजन के लिए मोबाइल कैन्टीन की व्यवस्था कराई जावेगी। मोबाइल कैन्टीन एक लाख जनसंख्या पर एक के हिसाब से उपलब्ध कराई जावेगी। इसके लिए निम्न स्टॉफ स्वयं सेवक उपलब्ध कराये जावेगे :–

सुपरवाइजर	–	1 प्रति कैन्टीन
सहायक	–	3 प्रति कैन्टीन
वाहन चालक	–	1 प्रति वाहन

(र) हाउसिंग एवं बिलेटिंग :– हाउसिंग एवं बिलेटिग एक लाख जनसंख्या पर 01 से गणना कर संधारित किये जाते हैं।

ओवरसीयर (हाउसिंग ऑफिसर)	1 प्रति सैन्टर
लिपिक	1 प्रति सैन्टर
सन्देश वाहक	1 प्रति सैन्टर

(ल) आपातकालीन वस्त्रादि व्यवस्था – बेघर लोगों की शरण स्थल में मौसम के अनुसार सभी आयु वर्ग हेतु पहनने, ओढ़ने के लिए वस्त्रादि उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। अतः इस हेतु अभियान चलाया जाकर पर्याप्त वस्त्रादि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। साथ ही शान्तिकाल में स्वयंसेवी संस्थाऐं जो वस्त्रादि एकत्रित कर वितरण का कार्य करती है, का सहयोग पूर्णरूपेण लिया जावेगा।

भाग – IV

16. निष्क्रमण (Evacuation) – नागरिक सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रमण 'म्अंबनंजपवद' है, जो कि अपने आप में एक सम्पूर्ण योजना है। निष्क्रमण की कार्यवाही अति आवश्यक होने पर ही की जानी चाहिए। आम जनता खतरे के स्थान से सुरक्षित स्थान की ओर मय कीमती सामान, पशु, वाहनों तथा परिवारजनों के साथ पहुंचना अथवा सरकार द्वारा सुव्यवस्थित तरीकों से पहुंचाना निष्क्रमण है। निष्क्रमण के प्रकार :– संकट से पहले व संकट से बाद।

16.1 **संकट से पहले** – संकट से पहले निष्क्रमण की सूचना शहर के जिन–जिन भागों से निष्क्रमण कराया जाना है जिला प्रशासन द्वारा इसकी सूचना वहां के निवासियों अवश्य दी जायेगी। प्रशासन द्वारा उस भाग में यह आदेश प्रसारित कराने होंगे कि किस भाग से, किस प्रकार, किस भाग के लिए निष्क्रमण किया जावेगा, वहॉ क्या–क्या सुविधाऐं उपलब्ध रहेंगी।

16.2 **संकट के बाद** – घटना घटित होने के बाद दुर्घटना की स्थिति अनुसार सम्बन्धित स्थान की निष्क्रमण योजना तत्काल बनाई जाकर प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

16.3 नियन्त्रक (कलक्टर) स्थिति को मध्ये नजर रखते हुए निर्णय करेंगे कि अमुक–अमुक स्थान से जन जीवन को अल्पावधि के लिए कैम्प में ले जाना होगा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा से संबधित धाराओं का प्रयोग करते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 6 के अंतर्गत निष्क्रमण के आदेश प्रसारित करेगें तभी कैम्प की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। कैम्प स्थल पर सामाजिक संस्थाऐं नियन्त्रक (जिला कलक्टर) की लिखित सहमति प्राप्त करने पर ही कार्य करने के लिए सक्षम होंगी। निष्क्रमण के समय आने वाली समस्याऐं निम्नानुसार हैं :–

- जनता को पता नहीं होता है कि पलायान किस ओर करना है।
- जनता घबराहट में भगदड़ मचाकर गलत, खतरनाक व बिना सुविधा वाले रास्तों पर जा सकती है, साथ ही आवश्यक सेवाओं के आने–जाने में अवरोधक बन सकती है।
- वे आमजन जो स्वयं के वाहनों से घर बार छोड़कर निकल जाते हैं जानकारी के अभाव में सही गन्तव्य तक नहीं पहुच सकते, भगदड से पुलिस प्रशासन की दुविधा बढती है। यातायात धीमी गति, अधिक भीड व तेज गति से चलने वाले वाहन व पशुओ द्वारा बाधक हो सकता है।
- असामाजिक तत्व बढ सकते है।
- सामाजिक परिवार जन आपस में बिछुड सकते है, विशेषतः बच्चो का गुम हो जाना।
- मूलभूत सुविधाओं की कमी होना व उसकी व्यवस्था करना।

16.4 **रास्ता** – निष्क्रमण कराने के लिए आमजन में पी.आर.ओ द्वारा माइक पर कैम्प स्थलों पर एकत्रित होने की सूचना दी जावेगी, ताकि आमजन को निष्क्रमण हेतु एक स्थान पर एकत्रित कर साधनों द्वारा गन्तव्य तक पहुचाया जा सके। इसके लिए हवा के विपरीत दिशा वाला रास्ता अपनाया जाना चाहिये।

16.5 **चैक पॉइन्ट कार्य** – स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्क्रमण की सूचनाऐं एकत्रित करने, सरकार को सूचनाऐं देने जिसमें वाहन मय जनता के अपने निर्दिष्ट की ओर बढ रहें है व किसी प्रकार की समस्या है/नहीं है आदि सूचना एकत्रित करने के लिए चेक पॉइन्ट बनाये जावेंगे। सभी चैक पाइन्टों पर साधारण जल पान की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। मेडिकल सहायता प्रदान कराई जावेगी दवा की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। इसके लिए स्वास्थ अधिकारियों को सूचित किया जावेगा।

16.6 **प्रभारीगण** – कैम्प में एकत्रित स्थान से आमजन को प्रभारी निष्क्रमण वाहनों द्वारा/रेल द्वारा रवाना करेगें। प्रभारीगण कैम्प स्थल का सम्पूर्ण लेखा जोखा रखेगें। सूचना के लिए माइक बैटरी सहित, रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, टैण्ट आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन/स्वयंसेवी संस्थाओ से सहयोग प्राप्त कर करेंगे। कैम्प की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी की होगी। उपरोक्त कैम्प अधिकारियों के कार्य क्रमवार निम्नाकित है :–

- **कैम्प कमान्डैन्ट** :– कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था कैम्प कमान्डैट करेंगे। वित व्यवस्था की जिम्मेदारी, उच्चाधिकरियों से तालमेल रखना।
- **डिप्टी कैम्प कमान्डैन्ट** :– कैम्प कमान्डैन्ट के आदेशों की पालना में कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था योजना बानाना। कैम्प में जनता के रहने, सोने, खाने इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था योजना बनाना। कैम्प में जनता के रहने वालों की नामावली तैयार कर रिकार्ड संधारित करना, कैम्प के वाहनों की लॉग बुक का संधारण करना, उच्चाधिकारियों को सूचित रखना। इसके लिए दो नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिन्हें लिपिकीय कार्य आता हो, उपलब्ध रहेंगे । लिपिक कैम्प के सम्पूर्ण लिपिकीय कार्य करेंगे।
- **लेखाधिकारी** :– कैम्प के मद में होने वाले आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा रखना एवं समय–समय पर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- **वैलफेयर व सप्लाई अधिकारी** :– कैम्प में रहने वालों की भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, सूचना व्यवस्था, वस्त्र/बिस्तर व्यवस्था, कैम्प आवास के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था मय अल्टरनेट व्यवस्था आदि कार्यो की जिम्मेदारी होगी। इनके कार्य क्षेत्र में कैम्प से संबधित सामान की आवक व्यवस्था रखने, कैम्प में सभी को आवंटित होने के लिए भोजन के कार्ड एवं राशन प्राप्त करना आदि होगे।

- **चिकित्सा सहायता** :– सी.एम.एच.ओ. द्वारा कैम्प स्थल के लिए एक फिजीशियन, एक कम्पान्डर व एक सहायक नर्स निरन्तर उपलब्ध कराए जायेंगे। कैम्प में प्राथमिक चिकित्सा दवाएं सदैव उपलब्ध रहेंगी।

16.7 **विधुत कार्य** – कैम्प स्थल पर विधुत से संबधित कार्य विधुत विभाग को आंवटित होगे। संबंधित विभाग के सहायक अभियन्ता कैम्प स्थल के विधुत प्रभारी रहेगे। कैम्प स्थल के लिए एक जनरेटर प्रशासनिक/जन सहयोग से प्राप्त कर उपलब्ध रखा जावेगा।

16.8 **जलदाय** – कैम्प स्थल पर पीने एवं नहाने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जलदाय विभाग को दी जाकर पूरी कराई जावेगी। किसी भी आपातकाल स्थिति में जन जीवन के आक्रोश से बचने के लिए राष्ट्रीय हित में आवश्यकता को देखते हुए अधिक लोगों को शहर से बाहर ले जाना/भेजना/पलायन करना पड सकता है ऐसी स्थिति में कैम्प कमाडैन्ट को कैम्प लगाने के लिए नियन्त्रक (जिला कलक्टर) द्वारा आदेश प्राप्त होंगे।

17. रिपेयर्स एण्ड डिमोलेशन्स – किसी भी स्थान पर हवाई हमलों अथवा अन्य मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिक संख्या में भवन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार के क्षतिग्रस्त भवन अथवा क्षतिग्रस्त हिस्से यदि तुरन्त ठीक नहीं कराये जायें और उन्हे वैसे ही छोड़ दिया जाये, तो उनसे कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जो निम्नानुसार है :–

- अधूरे ढ़हे हुए मकान अथवा उनके हिस्से भी ढ़ह सकते हैं, इससे आस–पास में जानमाल का अधिक नुकसान हो सकता है।
- क्षतिग्रस्त मकान जो मरम्मत से ठीक हो सकते हैं, यदि उन्हे वैसे ही छोड़ दिया जाये तो, अधिक समय बाद वे मरम्मत के योग्य नहीं रहेंगे।
- क्षतिग्रस्त मकान रेलवे लाइनों, व्यवस्त सड़कों अथवा अन्य आवश्यक सेवाओं के भवनों के आसपास हैं, तो उनके अचानक गिरने से यातायात व आवश्यक सेवायें बाधित होंगी और दुर्घटना हो सकती है।
- क्षतिग्रस्त मकान मरम्मत के अभाव में वैसे ही रहने दिया जाये, तो जन मानस में घटना की भयानकता का अहसास निरन्तर बना रहता है एवं उनके मनोबल पर विपरीत असर होता है। जन मानस अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगते है तथा शत्रु की महता स्वीकार कर सकते हैं।

17.1 **रिपेयर दल का गठन** – उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए, सड़कों की मरम्मत, मलबा हटाने के लिए एवं क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदार है कि वे अपने स्तर पर उपरोक्त कार्यो हेतु एक दल गठित कर उनके लिए आवश्यक साजो समान निर्धारण कर अपनी योजना नियन्त्रण (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा को भेजेंगे। इस दल में नागरिक सुरक्षा के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इस दल को

निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य प्रारम्भ करने होंगे ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से शीघ्र सम्पन्न हो सके :–

(क) क्षतिग्रस्त मकान (निजी/सरकारी/व्यावसायिक स्थान) की मरम्मत शीघ्रता शीघ्र कराना चाहिये। निजी मकान वाले अपने स्वयं के प्रयासों से मरम्मत करना चाहें और उन्हें रिपेयर मैटैरियल की आवश्यकता होवे तो उनकी मांग पर उन्हें सामान देना पड़ सकता है। सरकारी भवनों की मरम्मत हेतु अधिक मात्रा में सामान रिजर्व रखना होता है।

(ख) रिपेयर दल केवल आवश्यक मरम्मत करेंगे, मकान में भीतरी सजावट अथवा कोई अतिरिक्त सुविधा नही बनायेगें, यह बात विशेष ध्यान मे रखी जानी चाहिए।

(ग) मरम्मत तभी की जावेगी यदि :–

- क्षतिग्रस्त मकान का वास्तव मे आवासीय उपयोग हेतु काम मे लिया जाना है।
- क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के बाद उसमे परिवार जन आवास हेतु आने वाले हैं।
- क्षतिग्रस्त मकान कम मरम्मत में रहने योग्य बन सके।
- क्षतिग्रस्त मकान के रहवासी मरम्मत भार नही उठा सकते हों तो मरम्मत की सहायता की जावेगी।
- निजी एवं व्यवसायिक मकानों की मरम्मत उनके मालिकों द्वारा शान्ति कालीन व्यवस्था मे जैसे करवाते हैं वैसे ही कारवाई जावेगी।
- उनके गिरने से अन्य भवन, यातायात/रेल्वे/अस्पताल प्रभावित होते है।

17.2 **सड़कों की मरम्मत तथा मलबा हटाना** – घटना स्थल के आस पास सड़क पुलिया, रेलवे पुल, रेलवे लाईन आदि क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन स्थानों को पुनः आवागमन योग्य बनाने हेतु एक दल का गठन किया जावेगा। साथ ही सड़क/रास्तों पर एवं पुलियाओं/मकानों के गिरने से फैला हुआ मलबा भी हटाने का कार्य करेगा।

17.3 **मकानों को गिराना** – क्षतिग्रस्त मकान जो किसी भी प्रकार की मरम्मत के योग्य नहीं है व कभी भी अपने आप साथ वाले भवन/सड़क/रेल लाइन पर अचानक गिर कर अधिक हानि कर सकते हैं। इस प्रकार के मकानों से दुर्घटना के अन्य कारण भी बन सकते हैं। अतः इन्हें गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग एक दल बनाकर कार्य सम्पादित करया जावेगा।

18. **आवश्यक सेवाओं का रख रखाव** – निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं के विभागाधिकारियों द्वारा प्रत्येक के लिए मरम्मत दल नागरिक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष के लिए नामांकित कर आपात काल में उपलब्ध कराये जायेंगे।

- दूर संचार विभाग के बाहरी लाइन मैन।
- जलदाय विभाग के पाइप लाइन पर कार्य करने वाले।
- विधुत विभाग के लाइन मरम्मत करने वाले।
- नगर निकाय द्वारा सफाई कर्मी।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गठित रिपेयर दल।

19. पशुओं की देखभाल – आम दिनों में भी पशु आवारा घुमते रहते हैं तो हवाई हमला व अन्य आपदाओं की स्थिति मे पशुओं की देखभाल पर अधिक ध्यान रखना होगा। आपदा/विपदा के बाद पशु घायल अवस्था/मृत अवस्था मे मिल सकते हैं, पालतू पशु अपने बाड़े से निकल कर भागने लगते हैं, यहा तक कि आवारा पशु एवं जगली जानवर ज्यादा डरावनी आवाजें निकालकर, अपने बचाव के लिए बेतहाशा भागते हैं। इससे मनुष्यों के अधिक घायल होने का अन्देशा रहता है। पशु अपने बचाव के लिए हमला बोल सकते हैं। अतः नागरिक सुरक्षा योजना में पशु पालन विभाग द्वारा निम्नानुसार बिन्दुवार योजना बनाकर कार्य कराया जाना आवश्यक है :–

- आपातकाल में पशु नियंत्रण, दाना चारा नियन्त्रण व्यवस्था जिला पशु पालन विभाग की होगी।
- पशु पालन विभाग द्वारा शहर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थान निश्चित कर दुधारू पशुओं के मालिकों को उन पशुओं को निश्चित स्थानों पर रखने की व्यवस्था के लिए आदेश प्रदान करेंगे।
- गम्भीर घायल जानवरों के इलाज की व्यवस्था करेंगे।
- मृत पशुओं का निपटान उचित विधि से करवायेंगे, ताकि महामारी नहीं फैल सके।
- आपातकाल में दवाओं की व्यवस्था, स्टोर रखने की व्यवस्था, कार्य के लिए आवश्यक सामान व उनकी भण्डारण की व्यवस्था, कर्मचारियों के कार्यों का बंटवारा कर उनको निर्देशित करने की व्यवस्था इत्यादि जिला पशु पालन अधिकारी द्वारा शान्ति काल में योजना तैयार की जावेगी।
- पशुओं की देखभाल योजना बनाने मे आपातकालीन समय मे उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रियान्वयन करने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा अपने स्तर पर दलों का गठन करेगा। जिससे घायल जानवरों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी व साथ ही मृतक पशुओं को हटाकर महामारी से बचाव किया जा सकेगा। इस हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग जिला पशु पालन विभाग से योजना प्राप्त कर अपने पास रखेगा।

20. <u>प्रकाश नियन्त्रण</u> – इतिहास मे पिछले युद्धों में देखने में आया है कि शत्रु द्वारा हवाई हमला ज्यादातर रात्रि में ही किये गये हैं। इसके मुख्य दो कारण है – पहला ''रात्रि के अन्धकार मे शत्रु के विमानों पर मार करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है, इससे शत्रु को उद्वेश्यपूर्ति के लिए समय मिल जाता है''। दूसरा ''सांयकाल/रात्रिकाल में जनजीवन के भोजन/सोने का समय होता है। अतः दुश्मन राष्ट्र को अपने उद्वेश्य की पूर्ति के लिए जनजीवन को अधिक से अधिक अस्त–व्यस्त करने का अवसर मिल जाता है''। शत्रु राष्ट्र के विमानों को हमले करने से रोकने के लिए वायु सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियार तैयार कर तैनात किये होते हैं फिर भी शत्रु अपने उद्वेश्य की पूर्ति के लिए शहरी सीमा की ओर बढते हुए बम वर्षा करने में सफल हो सकते हैं। शत्रु के विमानों को शहर की विधुत व्यवस्था उॅचाई से उसके उद्वेश्य बिन्दु (टारगेट) तक जाने में अधिक सहायक होती है। उपरोक्त कारणों के आधार पर एक राष्ट्र प्रकाश नियन्त्रण की व्यवस्था से दुश्मन राष्ट्र के उद्वेश्यो की पूर्ति मे बाधक बन सकता है। प्रकाश नियत्रणं व्यवस्था को निम्नानुसार दो भागो में विभाजित किया गया है।

- सम्पूर्ण ब्लेक आउॅट करना जिसमें ऊॅचाई से व नजदीक से बाहर किसी प्रकार की प्रकाश की प्रकाश किरणें दिखाई नहीं दें।
- प्रकाश की मात्रा वोल्टेज के नियत्रण से उसके फैलाव एवं चमक की रेट को कम किया जाना।

20.1 <u>भवन की प्रकाश व्यवस्था</u>

- भवन/घर की प्रकाश व्यवस्था घर से बाहर दिखाई नही देनी चाहिए।
- प्रकाश व्यवस्था के लिए खिड़कियों/दरवाजों पर जो कॉच के होते है गहरे भूरे रंगे के कागज लगाने चाहिए। गत्ते/अखबारों से भी ढक सकते हैं।
- भवन/घरों के बाहर छत पर बल्ब नही लगायें, की व्यवस्था होनी चाहिए।
- भवन/घरों मे संध्या समय के बाद कम दर की विधुत व्यवस्था की जानी चाहिए।
- भवनों/घरों में कार्य अधिक से अधिक संध्या पूर्व निपटा लेना चाहिए ताकि कम प्रकाश व्यवस्था माकूल बनी रहे।

20.2 <u>सड़क पर प्रकाश व्यवस्था</u>

- सड़क पर लगी लाइटों को कम बोल्टेज मे फैलाने की व्यवस्था।
- सड़क पर लगी ट्यूब लाइट आदि को कम संख्या में लगाकर व्यवस्था बनाये रखना।
- खम्भों पर लगे बल्ब/ट्यूब लाइट पर शैड का प्रयोग किया जाना चाहिए।

20.3 वाहनों की प्रकाश व्यवस्था

- चोपहिया वाहन :– किसी भी वाहन की सीधी रोशनी वाली लाइट के गिलास को दो भागों में उपर नीचे करते हुए निचले आधे हिस्से पर एक परत पतले भूरे पेपर की लगाना और उपरी आधे भाग पर दो पेपर भूरे लगाने चाहिए।
- रेलगाड़ी – रेल की हैड लाइट का एक तिहाई भाग भूरे पेपर से ढक कर कम दर की विधुत का इस्तेमाल करना चाहिए। यात्रियो के डिब्बो मे विधुत व्यवस्था के लिए कम वोल्टेज के बल्ब प्रकाशित होन चाहिए। खिडकी के कॉच गहरे भूरे कागज/रंग से अपारदर्शी किये जाने चाहिए।
- दुपहिया/तिपहिया वाहनों की हैड लाइट एक तिहाई काले रंग की होनी चाहिए। बाजार में साइन बोर्ड की प्रकाश व्यवस्था को नियत्रंण मे रखना अवाश्यक है, इस हेतु स्थिति अनुसार नियत्रंक (कलक्टर) व्यवस्था बनाये रखेगे।

भाग – V

21. रासायनिक युद्व (Chemical Warfare) – रासायनिक युद्व उत्प्रेरक रासायन के द्वारा फैलाया जाता है, जिसका सीधा हानिकारक प्रभाव मानव पेड–पौधे जीव जन्तुओं पर पड़ता है। इसमें उच्च रासायनिक गैसों जैसे टैबुन सरीन, मस्टर्ड चौकिन, बायोबैन्जिल साइनाइट एवं अन्य विषैली गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों के द्वारा शत्रु राष्ट्र का मुख्य उद्वेश्य जनता का मनोबल गिराना, कामदारों को अस्थाई रूप से विकलांग बनाना, पेड़ पौधों एवं जीव जन्तुओं को दूषित कर खाद्यान्न संकट पैदा करना आदि होता है।

21.1 रासायनिक गैसों का वर्गीकरण :– रासायनिक युद्ध में प्रयोग में लाई जाने वाले गैसों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं

क.सं.	गैस	पहचान करने का तरीका	मानव शरीर पर पडने वाले प्रभाव
1.	**तांत्रिक** ● टैबुन : सायनो फास्फोरिक अम्ल की संजात होती है रंगहीन अस्तिर द्रव के रूप में होती है। ● सरीन : फ्लोओरों फॉस्फोरिक अम्ल की संजात होती है। रंगहीन, अस्थिर द्रव के रूप में होती है।	अत्यधिक मन्द फल जैसी गंध/सामान्यत गंध द्वारा पहचान नही होती पर रासायनिक परीक्षणों से पहचान हो जाती है। गंधहीन होती है, विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पहचान की जाती है।	देखने में परेशानी होती है। गला और छाती भारी हो जाती है। फेफडे का शोफ होना (लंग ईडीमा), नीलापन पसीना आना, अतिसार, मृत्यु होना।
2.	**व्रण गैस (बिलस्टर ग्रुप)** ● मस्टर्ड गैस,तेलिय द्रव के रूप में होती है। गहरे भूरे से लेकर हलके पीले रंग की होती है रबर, चमडे, कपडे लकडी में छेद कर देती है, चिर स्थायी होती है। क्लोरिन (अर्थात् – विरंजक चूर्ण) (ब्लिचिंग पाउडर) द्वारा आसानी से निष्प्रभावित हो जाती है।	लहसून प्याज या मूली या सरसों की गंध के समान गंध होती है।	वाष्पन, प्रभाव, आंखे जलने लगती है और सूज जाती है त्वचा लाल हो जाती है और उस पर फफोले पड जाते है खॉसी उठती है आवाज नही निकलती और बाद में श्वसनी शोध (ब्रॉन्काइटिस) या न्यूमोनिया हो जाता है द्रव प्रभाव आंखों पर तत्काल किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता पर कुछ घण्टों में अति गंभीर लक्षण दिखाई पडने लगते है त्वचा दो घण्टे में लाल हो जाती है और फफोले 12 से 24 घण्टों में पडते है। **वाष्पन** : नाक, आंखों और फैफड़ों में क्षोभ उत्पन्न होता है। मस्टर

	• लेविसाइट (आर्सेनिक योग) : शुद्ध रूप में होने पर रंगहीन द्रव की तरह होती है पर अशुद्ध रूप में होने पर भूरे रंग की होती है। एक अदृश्य गैस छोडती है। अत्यधिक प्रभावशाली और चिर स्थायी होती है पर पानी और अम्लों द्वारा आसानी से समाप्त हो जाती है।	जिरेनियम (फूलों) की गंध की तरह गंध होती है।	गैस की तुलना में त्वचा को कम प्रभावित करती है। **द्रव** : आंखों पर तत्काल और गंभीर प्रभाव डालती है।मस्टर्ड गैस की तुलना में इससे त्वचा पर अधिक तेजी से फफोले उत्पन्न हो जाते हैं।
3.	**श्वास रोधी गैसे** • फॉस्जीन : प्राय : अदृश्य गैस होती है, धातुओं को संक्षारित करती है। चिरस्थायी नही होती।	गीली घांस के सडने की गंध की तरह गंध होती है। धूम्रपान अरूचिकर हो जाता है।	जीवन के लिए अत्याधिक हानिकारक होती है। पहले प्रभावों में खॉसी उठती है, ऑसू निकलते रहते है, छाती में दर्द होता है, वसन में कठिनाई होती है। बाद में फुफ्फुस शोफ (पल्मोनरीईडीमा) हो जाता है। इसके प्रभाव 24 घण्टे में दिखाई पडने लगते है। फॉस्जीन की तरह प्रभावित करती है।
	• डाइफॉसजोन : रंगहीन द्रव्य के रूप में होती है। अर्द्धस्थायी होती है। • युक्सोरीन : हरे रंग की गैस होती है, धातु को संक्षारित करती है, चिर स्थायी नही होती। • क्लोरोपिक्रिन : रंगहीन होती है, वाष्पशील द्रव के रूप में होती है, अर्द्ध स्थायी रूप में होती है।	फॉस्जीन की तरह इसकी पहचान की जाती है। विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) की गंध की तरह गंध होती है। तीखी गंध होती है।	इसके प्रभाव भी फॉस्जीन की तरह होते है पर अधिक होते है पर अधिक क्षोभ उत्पत्र करते है और कम जहरीलें होते है। इसके प्रभाव क्लोरीन की तरह होते है अधिक हानिकारक होते है।
4.	अश्रु गैस • के.एस.के : गहरे भूरे द्रव के रूपम मे होती है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है।चिर स्थायी होती है।	प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। फल जैसी गंध होती है	सी.ए.पी.(नीचे उल्लेख किया गया है) की तरह प्रभावित करती है पर त्वचा पर इसका प्रभाव नही होता।
	• बी.बी.सी. (ब्रोमोबेन्जिल सायनाइड) : पीले भूरे क्रिस्टलो मे शुद्व रूप मे होती है। लेकिन सामान्यतः भेरे	प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। तीखी चुभने	इसके प्रभाव उपर्युक्त के.एस.के.की तरह होते हैं (जीवन को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता)।

	द्रव मे चिरस्थायी रूप से प्रयोग मे लायी जाती है। • सी.ए.पी (क्लोरिन फेनॉन) इसके रगंहीन क्रिस्टल होते है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है, चिरस्थायी नही होती । • नासिका को प्रभावित करने वाली :डाइफेनाइल क्लोरसाइन (डी.ए) (डी.ए) (डी.एम.और डी. सी) सामान गैसे होती है। रगंहीन या चमकदार पीले क्रिस्टल होते है। गर्म किए जाने पर गंधहीन धुआ निकलता है। अदृश्य है, पास के स्थान को छोडकर, चिरस्थायी नही होती।	वाली गंध होती है। प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है केवल प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है	आंखो मे जलन होती है, त्वचा पर काफी मात्रा मे तत्काल और गहरा क्षोभ होता है। छीके आती है, जलन होती है और छाती, गले, नाक और मसूड़ों मे दर्द होता है। बाद मे मानसिक दबाव होता है। लेकिन 5 मिनट में ही इसके प्रभाव होते है।

22. **<u>जैविक युद्ध (Biological Warfare)</u>** – जैविक युद्ध में किसी शत्रु के लोगों को उसके पालतू और अन्य पशुओं को मारने, उन्हें विकलांग बनाने या उन्हें क्षति पंहुचाने के लिए या फसलों को नष्ट करने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवित रोगाणु या उनसे उत्पन्न होने वाले रोगाणु का सप्रयोजन प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु स्वतः ही कम समय मे अधिकाधिक संख्या मे उत्पन्न होते रहते हैं तथा महामारी का रूप ले लेते हैं।

22.1 **<u>जैव युद्ध का उद्धेश्य</u>** :–

- मनोबल गिराने और आंतक फैलाने के लिए।
- चुने हुए लोगों जैसे औद्योगिक कामगारों आदि को विकलांग बनाने के लिए।
- लोगों पर किए जाने वाले सामान्य आक्रमण के एक भाग के रुप में।
- फसलों और पशुओं पर आक्रमण करके खाद्य पदार्थों की कमी उत्पन्न करने के लिए।

22.2 **<u>नागरिक सुरक्षा मे जैव युद्ध से बचाव</u>** – किसी भी राष्ट्र मे युद्ध के हमलों को रोकने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है फिर भी तोड़फोड़ जैव युद्व की आशंका के बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना आवश्यक है। नागरिक सरक्षा द्वारा प्रशासन की सहायता से रोग फैलने के तरीकों एवं उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी का कड़ाई से पालन नागरिक सुरक्षा कार्यो के माध्यम से कराई जावेगी। प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग की सहायता से पानी खाद्य पदार्थो की जांच का कार्य समय–समय पर किया जाते हुए पुलिस

और सेना की सहायता से साथ ही आमजन के सहयोग से पानी और खाद्य पदार्थो का रोगाणुओ से बचाव कराया जावेगा। पानी का जीवाणविक विश्लेषण बचाव में सहायक हो सकता है, साथ ही पानी का समुचित क्लोरीनीकरण भी कराना आवश्यक है।

22.3 जैविक युद्ध से सामान्य बचाव

- रोग का पता शीघ्रता से प्रारंभिक चरण में लगाना।
- आम जन को एक दूसरे के सम्पर्क में आने से रोकना।
- दूषित खाद्य पदार्थ, पानी के नमूनो की जॉच हेतु अतिरिक्त प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराना।
- सम्बधित रोग के टीकों की समुचित व्यवस्था करवाना तथा सूचना विभाग द्वारा टीके के प्रति सक्रियता जागृत करना।
- संक्रमणित फसलों व पशुओं को नष्ट करना।
- अस्पताल/प्राइवेट क्लिनिकों में रोगाणुओं को निष्प्रभावित करने हेतु पर्याप्त औषधियों का भण्डारण करवाना
- रोगाणु श्वॉस द्वारा त्वचा के सम्पर्क में आने पर एवं कीटों के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं इस रोगाणु रोधक ''नासा पैड'' प्रयोग में लाना।
- आश्रय स्थलों को समुचित प्रतिरोधक बनाना एवं दूंषित वस्तुओं की सूची बताते हुए उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध की चेतावनी देना।
- चिकित्सा विभाग औषधियों के समुचित वितरण एवं भण्डारण के लिए योजना बना कर कार्यवाही करना।
- नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार वार्डन के माध्यम से जैव युद्ध एवं उसके बचाव की जानकारी आमजन तक पहुॅचाने का कार्य करेगा।

22.4 जैव युद्ध से मनुष्य, पशुओं व पौधों तथा फसलों पर रोगाणुओं का प्रभाव

मनुष्य पर रोगाणुओं का प्रयोग	**पशुओ पर रोगाणुओ का प्रयोग**	**पौधों और फसलों पर रोगाणुओं का प्रयोग**
जीवाणु : • वैंसीलस एन्थरेसिस (गिलटी) • साल्मोनेला टाइफॉस (टाइफॉइड) • पास्बुरेला पेस्टिस (प्लेग) • थिब्रियो कॉमा (हैजा) **विषाणु (वाइरस)** :	**जीवाणु** : • वैसीलब एन्थेसिए (गिलटी) • ब्रुसेला ग्रुप ब्रेसेलारूग्णता (ब्रेसेलोसिस) **विषाणु (वाइरस)** : • मुख पाद रोग विषाणु	• हैलमिन्थोस्पोरयम ऑरिजेइ (चावल पर) • पाइरिकुलेरिया ऑरिजेई (चावल पर) • कार्नीलैक्टीयरियम सेपेडॉनिकम (आलू पर)

• एन्फ्ल्यूएंजा विषाणु (एन्फयूएंजा) • संक्रमी यकृत शोंध का विषाणु (पीलिया) (वाइरस ऑफ इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस) • मसूरी का विषाणु (चेचक) (वैरिऑला वाइरस) **रिकेट्रिसया** : रिकेट्रिसयल प्रीवेजकी (महामारीवाला टाइफस) **जीवविष (टॉक्सिन)** : • बॉटुलियन जीवविष (बाटुलिज्म) • स्टेफिलोकॉकस जीवविष (अन्नविषाक्तता)	• पशुप्लेग विषाणु (कैटल प्लेग) (रिंडरपेस्ट वाइरस)	

23. **<u>परमाणु युद्ध (Nuclear Warfare)</u>** – परमाणु बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जब न्यटानों से बमबारी की जाती है तो उसमें से ऊष्मान गामा किरणों, एक्स किरणों और कौंध के रुप में दिखाई देने वाले प्रकाश के रुप में बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु निकलती हैं। तापमान लगभग दस मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पंहुच जाता है, जो अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को वास्तव में पिघला देता है और कई मिलियन वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। परमाणु बम के विष्फोट से प्रकाश और ऊष्मा विकिरण, विष्फोट एवं तत्काल और विलंबित विकिरण इत्यादि प्रकट होते हैं।

23.1 **<u>ऊष्मा के प्रभाव</u>** – जब कोई न्यूक्लीय अस्त्र अधिस्फोटित होता है तो कुल ऊर्जा का 35 प्रतिशत तेज ऊष्मा और प्रकाश के रुप में निकलता है। यह ऊर्जा आग के गोले के रुप में निकलती है। किसी भी परमाणु बम ऊष्मा की लहर लगभग 1, 1/2 सैकंड तक रहती है पर बड़ी क्षति पहले आधे सैकंड के दौरान होती है। यह कौंध के रुप में होती है और इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। ऊष्मा की लहर के बने रहने की अवधि अनुमाप विधि के अनुसार बढ़ती है। किसी 10 मेगाटन के बम से निकलने वाली ऊष्मा 20 सैकंड तक रहती है और इसके कारण बड़ी क्षति पहले 10 सैकंड के दौरान होती है।

23.2 **<u>प्रारंभिक और द्वितीयक आग</u>** – घटना स्थल के आसपास कुछ दूरी तक प्रत्येक वस्तु आग द्वारा पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इससे लगभग 01 मील क्षेत्र में आग लग जाती है, जिसे प्रारम्भिक आग के रुप में जाना जाता है। द्वितीयक आग की स्थिति में इमारतें गिरने, घरेलु आग लगने, गैस के पाइप फटने और बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट हो जाने इत्यादि कारणों से आग लग जाती है।

23.3 **<u>परमाणु बम के विष्फोट का प्रभाव</u>** –

- इससे कुल ऊर्जा का 45 प्रतिशत विष्फोट झटके के रुप में होना।
- उक्त झटके दो चरणों में होते हैं – 1. दाब और 2. चूषण।
- इमारत का विष्फोट के झटके सहन करने का सामर्थ्य जिसमें इमारत की मजबूती, आकार और खुले भागों (दरवाजे व खिड़कियां आदि) पर निर्भर करता है।
- The effects of Nuclear explosion can conveniently be divided into followings: -
  (a) Blast effect -45%
  (b) Heat effect -35%
  (c) Radiation effect -20% (5% Initial & 15% Residual Radiation)

Three Friends of Nuclear Warfare	Three Rules for Protection Against External Radiation	Three Rules to Prevent Intake of Radioactive Materials.	Effects on Human Body	Full Turnout Gear.
• Time • Distance • Radiation	• Time - Keep exposure time as short as possible • Distance - Keep as far away as possible from the source • Source - Shield body from source wherever possible	• Use B. A. (Breathing Apparatus) sets • Do not eat, drink & smoke in contaminated area • Withdraw from radiation area if you sustain open wounds	• Radiation sickness • Delayed effects • Long term effects • Genetic effects	• Helmet • B.A. (Breathing Apparatus) set. • Turnout coat. • Gloves. • Turnout paint. • Rubber boots. • Radiation Survey Meters. • Eye shield.

23.4 **<u>मनुष्य के शरीर पर विष्फोट के प्रभाव</u>** – मानव शरीर इमारतों की तुलना में दाब को अधिक शक्ति के साथ सहन कर सकता है, जिससे सीधे विष्फोट के कारण लोगों को अधिक चोट नहीं पंहुचेगी पर विष्फोट के अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण कई लोगों को चोट लगेगी, जैसे – इमारतें ढ़हना, मलवा गिरना, शीशे के टुकड़ों का उड़ना इत्यादि। इससे लगभग 02 मील के क्षेत्र में प्रभाव होंगे।

23.5 **<u>परमाणु युद्ध – विकिरण प्रभाव</u>** – जमीन पर या जमीन के निकट किसी भी परमाणु अस्त्र के अधिस्फोटित होने पर ऊपर उठने वाला आग का गोला जमीन से बहुत सारी मिटटी और अन्य सामग्री अपने साथ ऊपर ले जाता है। यह समस्त सामग्री रेडियोधर्मी हो जाती है और किसी ऐसे बड़े क्षेत्र में गिरती है जिसके ऊपर छत्रक रुपी बादल चलते रहते

हैं। रेडियोधर्मी सामग्री के गिरने से उसके बड़ी मात्रा में फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

23.6 **मनुष्यों पर विकिरणों का प्रभाव** – परमाणु विकिरणें मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं को मारकर उसके शरीर को हानि पंहुचाती हैं। मनुष्य के समस्त शरीर पर होने वाले विकिरण के जैविक प्रभाव क्रमशः निम्नलिखित चार दशाओं में स्पष्ट हो जायेंगे :–

- **विकिरण के कारण बीमार पड़ जाना** – इसमें थकावट, मतली, अपाचन, भूख न लगना आदि इसके प्रारम्भिक लक्षण होते हैं जो उल्टी, अतिसार (दस्त की बीमारी) का रुप ले सकती है।
- **विलंबित प्रभाव** – त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने के कारण रक्त के दाग उभर आने से शरीर से बालों का झड़ना जैसे विलंबित प्रभाव लगभग चार सप्ताह तक होते हैं।
- **दीर्घकालिक हानियां** – अरक्तता (अनीमिया), रक्त कैंसर, अस्थि या ऊतक विकिरण कैंसर और टयूमर इत्यादि जो सामान्यतः विकिरण होने के कई वर्ष बाद होती है। इसमें मनुष्य आयु से पहले वृद्ध हो सकता है।
- **आनुवांशिक हानि** – यदि जननें–द्रिया और जनन कोशिकाएं जो आने वाली पीढ़ियों की वंशागत विशेषता को आगे बढ़ाती हैं, विकिरण से प्रभावित होती हैं व आनुवंशिक हानि होती है।

23.7 परमाणु बम के विष्फोट के कारण विकिरण से उत्पन्न होने वाले खतरे

- **प्रारम्भिक विकिरण**–ये विष्फोट के केन्द्र से गामा किरणों के रुप में बाहर निकलती हैं व भेदक होती हैं :–

खाली जमीन (ग्राउण्ड जीरो से दूरी)	कुल मात्रा	मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1/2 मील पर	5000 आर	यह स्थिति निश्चित रुप से विघातक होती है।
3/4 मील पर	500 आर	50 प्रतिशत घातक।
1 मील पर	100 आर	1 प्रतिशत लोगों का बीमार पड़ना।
1–1/2 मील पर	5 आर	कोई प्रभाव नहीं

- **अवशिष्ट विकिरण** – उसका अवपात (फाल आउट) – परमाणु बम के हवा में विष्फोट होने के बजाय यदि वह भूमि तल के निकट विष्फोटित होता है तो रेडियोधर्मी कण मिटटी आदि के बड़े और भारी कणों को संदूषित कर देते हैं और ये तेजी से जमीन पर जमा हो जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में विकिरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें शरीर या कपड़ों के संपर्क में आने से त्वचा जल सकती है। सांस लेने या अंतग्रहण द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर घातक विष का

कार्य करती है, जिससे तेज विकिरण रोग, आनुवंशिक रोग या मृत्यु हो जायेगी। जमीन पर जमा रेडियोधर्मी कण खुले खाद्य पदार्थों, पानी और फसलों को संदूषित कर सकते हैं।

23.8 रेडियोधर्मी सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए संरक्षण –

- **समय** – रेडियोधर्मिता तेजी से क्षीण हो जाती है। यह लगभग 2 दिन के अंदर इसके मान का 1/100 भाग हो जाती है।
- **दूरी** – किसी भी एक समान संदूषित क्षेत्र से कुल मात्रा का 1/3 भाग 12–1/2 फुट के घेरे से प्राप्त होता है, कुल मात्रा का आधा भाग 25 फुट के घेरे से प्राप्त होता है और कुल मात्रा का 3/4 भाग 100 फुट के घेरे से प्राप्त होता है। यदि इन घेरों के भीतर दीवारें, रुकावटें या अन्य हो तो यह मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए भीतर रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होगा।
- **आड़ बनाना** – रेडियोधर्मिता की मात्रा कम करने के लिए विभिन्न सामग्रियों द्वारा की गई स्क्रीनिंग की व्यवस्था उन सामग्रियों के घनत्व के आधार पर की जाती है। 2.2 इंच कंकरीट इस मात्रा को आधा कम कर देती है

23ण्9 Suggested Role of District Magistrates of the Districts.

During Peace Conditions	• Assess the effects that could take place during an attack. • Prepare teams to work during disasters. • Educate the public • Evaluate resources available • Demand for extra resources from the Govt • Train the teams of officers/men from within the District for Disaster Management • Liaise with the neighboring Districts/States • Prepare the Evacuation Plans • Carryout periodical rehearsals of the Disaster Plans
During an Attack	• Proper Warning System • Taking of Shelter • Arrangement of First Aid to the victims • Control Rumors & give positive information • To arrange proper NBC kit to the teams to work in NBC affected area
After thee Attack	• After the blast wave had passed, there would be ample time before the start of fallout (about half an hour in the case of a large bomb). Instruct people to get into a prepared refuge against the fallout • After the blast wave had passed people should quickly inspect all rooms in the house or building, including spaces under the roof for proper sealing • Advise people to extinguish fires after the blast wave • Nagar Nigam Jaipur and Nagar Parisad/Nagar Palika of towns are responsible for disposal of dead bodies with the help of local people • Arrange for urgent repairs or weatherproofing which could be completed within

	half an hour. Curtains or sheets should be tacked over broken windows to keep gross amounts of fall out from being blown into the rooms. There would be no cause to worry about small amounts of fall out getting into damaged parts of the house provided it was not allowed to get into food or water consumed in the refuge room. If dust was visible later in any room it should be swept and dumped outside • Except possibly in the area damaged by a nuclear explosion, a fall out warning would be given, to indicate that fall out was imminent. After the blast wave had passed and until the imminent warning was received all necessary help and first aid should be given to neigh burs.
Work of Radiological Unit and Decontamination unit	• Remove all outer clothing and place it in a room or cupboard separate from your refuge room. It would be useful to have bags of polythene or similar material into which contaminated articles could be placed since the bags could be handled later with a much smaller risk or spreading the contamination. In removing the outer clothing care should be taken not to shake it, as this would disperse radioactive dust unnecessarily into the atmosphere. • The hands, head and neck should then be thoroughly washed and scrubbed with soap and warm water while handing over a hand basin. This washing should be repeated at least once, taking care to brush water the nails thoroughly • Removal of dust from the clothing by means of an efficient household vacuum cleaner • Seeking & stirring the clothing in a solution of household detergent either 5 minutes in a washing machine or 5 minutes vigorous stirring (with a suitable stick) in a bath bucket followed by thorough rinsing in clean water
Metrological Deptt	• One should remain in the refuge for the first 2 days after the explosion or until you had been told that your district was free from radioactive fallout. If you did not receive any instructions you should stay in your refuge as long as possible (i.e. you should not remain any longer than was necessary in other parts of your house. Above all you should not go out of doors until you receive further instructions. A small transistor would be handy and useful • If you do not receive instructions before the end of the third day, it might be because you were in an area of high dose rate. If so, it would be all the more necessary for you and your family to remain in your refuge room, to spend as little time as possible in other parts of the house and to avoid outdoor exposure until you had been told what you might safely do • If the dose rate in your area were above certain intensity you would be told exactly when and where you would be collected. You would have to be ready at the exact time and place; otherwise, you might imperil not only your own life but also the lives of those who were accepting heavy risks carefully calculated in time, in trying to remove you and your family and neighbors

a. EVACUATION AGAINST A NUCLEAR ATTACK

The present day potential of nuclear weapons warrants the use of all possible means of protection against a nuclear attack. Education of the population, achieving the best possible protection factor in shelters, early warning system and evacuation of the population from target areas forms the

mainstay of the protection. Traffic problems and mode of conveyance poses the toughest problem. To assess the same the following must be assessed: -

(a) An estimate of the number of individuals who could be moved to practicable locations under variable conditions.
(b) Techniques and measures of control, supervision, and management needed to affect the movement of the population;
(c) Specific recommendations for improving the facilities available, for the purpose of accelerating the evacuation; and
(d) A suggested procedure and standards for use as a prototype in the conduct of comparable studies in other communities.

b. **BASIC REQUIREMENTS AND ASSUMPTIONS**

1. **Map Study**. A detailed map, study of the city and area is the logical starting point for staff consideration of evacuation problems. Features of topography that will hinder traffic will be identified, as well as natural barriers that limit direction. Highways routes should be shown in some detail and tentatively rated for adaptability to evacuation. Nearby cities, which are potential targets, should be related to the area. All staff members should be familiar with the study.

2. **Definition of Evacuation Area**. The size of the area to be evacuated in and around an urban target area is dependent upon the size and importance of the target. An evacuation movement study must be predicted on a realistic estimate of probable damage. Therefore an evacuation area would be a target area and the reception area necessary to support its evacuees.

3. **Vulnerable Urban District**. A vulnerable urban district exists under either of the following conditions of industrialization or population: -

(a) **Industrialization.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there are enough industrial plants (having a total of 100 or more workers on all shifts) to total combined employment of 16,000 workers.
(b) **Population.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there is a resident or daytime population of 200000 persons.

Within the 10-mile buffer zone outside of and surrounding the vulnerable urban district protective construction is a requirement for new hospitals.

4. **Reception Area**. The areas to which people must be moved must lie beyond the outer limits of the evacuation zone. Planning of reception areas is beyond the scope of a traffic movement study and, as has been pointed out earlier, may probably be best done by city and State Civil Defence agencies concerned with health and welfare. The traffic movement plan should, however, take into account some of the requirements of reception areas. For example, evacuation routes should be checked and designated far enough into the safe area to insure connection with an adequate highway system. This facilitates radial or lateral secondary

movement of evacuation traffic. The movement study should also include data on places and volume of discharge into the overall reception area, on which detailed support planning may be based.

5. **Psychological Assumptions.** The question of how people will behave during evacuation has been the subject of much speculation. Questions frequently raised are: Will all the people be willing to leave the city? Will people leave if they are separated from the families? Will the behavior of drivers be rational? The committee on Disaster Studies of the National Research Council of the USA is studying disaster behavior. It is assumed then, that if a plan for evacuation traffic is adopted and thoroughly publicized, people generally will follow the plan. There is little basis yet, however, for the conclusion that emergency conditions will result in a general increase in normal abilities and skills.

6. **Effectiveness.** At an early stage in evacuating planning the need is evident for a means of measuring the effectiveness of the plan developed. Such a basis for appraisal furnishes an index of effectiveness. The basic quantities to be checked by use of the effectiveness index are time, distance, and people. The distribution of people under normal circumstances, movement distances required to reach safety, land rate of movement can thus be determined. Since warning time is unknown, the entire range is time from zero (in case of complete surprise in attack) to that required for persons to reach safe areas should be plotted. Several factors influence making an index. One is the availability of information necessary to carry out computation or estimation of the factors. Another is the index used in other evacuation studies; the effectiveness of several cities, evacuation plan is more easily compared if they have common indices. Individual civil defence functions such as rescue, medical, engineering and welfare might find special information in these indices useful in planning details of operation. Some indices of effectiveness are listed below: -

   (a) Total number (or percent) of survivors expressed as a function of warning time (i.e. time from warning until explosion).
   (b) Number of persons reaching the safe area expressed as a function of warning time.
   (c) Number of persons in each damage zone expressed as a function of warning time.
   (d) Number of uninjured survivors expressed as a function of warning time.
   (e) Number of uninjured survivors who will be in the safe area at some arbitrarily selected time (say two hours) after the explosion.

7. **Preconditioning.** It is assumed that the Civil Defence warning system is or will be effective, that all responsible persons within the evacuation area are familiar with the warning system, and that people know what they should do under the evacuation plan at any given time. This implies the existence of a simple, well-publicized plan with operating guidelines such as route markers and necessary control points adequately manned.

8. **Delay Time**. It is assumed that some period, probably less than a half hour elapses between the warning signal and the time evacuation movement reaches full effectiveness. During this period people will stop their normal activities, leave their homes or places of employment, and proceed to their designated transportation.

9. **Direction of movement**. The Administrative Authorities at district level will be held responsible to give direction for movement during evacuation as per the wind directions/weather report received from the Metrological Department.

10. **Traffic Drainage Areas**. It is assumed that for each one-way evacuation route passing from the city into the reception zone there is a corresponding drainage-area, or sector of the city whose traffic is tributary to that route. The area should be so selected that its generated traffic is within the capacity of the route. Stated another way, drainage areas should be designated so that all routes will be equally overloaded. This will result in the most efficient use of the route system. Neither evacuation routes nor boundaries between drainage areas should be crossed, except by authorized emergency vehicles. This does not preclude movement of vehicles by other than primary routes (i.e. streets other than the final exit from the evacuation area) from the A and B zones to C and D zones or beyond, thus moving a large percentage of the total population to areas of less hazard from the primary weapons effects.

11. **Route Capacity.** It is assumed that the route capacity, under ideal conditions is 1,000 vehicles per lane per hour that the probable capacity under average conditions is 800 vehicles per lane per hour and that such capacity will be reduced to 500 vehicles per lane per hour under emergency conditions. For different routes capacity may vary widely, depending on different roadway and traffic conditions. Capacity is the product of traffic density and speed of movement. Possible capacity is expressed as the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or roadway during 1 hour under the prevailing roadway or traffic conditions. There is substantial evidence that the largest number of vehicles that can pass a point one behind the other in a single traffic lane, under ideal conditions, is between 2,000 and 2,200 passenger cars. Sustained hourly volumes in this range have rarely been observed, although the traffic demand has been sufficient to exceed them on many occasions. This ideal capacity can be approached only under the following conditions: -

    (a) That there are at least 2 lanes for the exclusive use of vehicles traveling in 1 direction.
    (b) That all vehicles travel 30 to 40 miles per hour.
    (c) That there is adequate width of traffic lanes, shoulders, and clearance of vertical obstructions.
    (d) That there are no restrictive sight distances, grades, improperly super elevated curves, inter-sections, or interference by pedestrians.

12. **Conditions.** The evacuation traffic movement plan should be able to function effectively at any time it might be put into operation. To assure this, it must be designed to cover a range of conditions, including those prevailing when the warning would probably be received. Examination of the plan in light of several variable conditions may reveal the need for special provisions or even complete changes in the plan.

13. **Time.** Because of movement of people to and from areas by night and day, both distributions of people and vehicles should be examined. Areas of the city, which are deficient in transportation during either of these times, should be given supplemental arrangements under the plan.

14. **Strategic Evacuation**. Individuals might undertake this type of evacuation voluntarily on a limited scale recommended by local governments in case of threat of attack.

15. **Route Improvements.** Improving highway routes can accelerate evacuation of an area. Varying stages of improvement can be expected. A quantitative appraisal of their extent and effectiveness will indicate the degree of acceleration of evacuation they add to the plan.

16. **Wind Directions**. The Metrological Department will be held responsible for intimating about wind directions regularly to the Administrative Authority and Shelter Manager.

भाग – VI

25. जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची :–

S.No.	Name of VA/VPs	Name of Area	No. Of VA/VPs	Assessed Priority
1	Commn Nodes Postal/Telegraph/ Telephones Key Points	BSNL Exchange, Alwar	1	B
		Head Post office Alwar	1	B
2	TV & Radio Stations	All India Radio Station, Alwar	1	B
3	Bridges/ Rope-way/Railway Station	Railway Station, Alwar	1	A
		Railway Station, Ramgarh, Govindgarh, Rajgarh, Malakheda, Kherli	5	B
		Roadways Bus Stand, Alwar	1	B
		Railway Bridge, Shantikunj and Agrasen Circle (Alwar)	2	B
4	Petroleum & Natural Gas	NIL	NIL	NIL
5	Mines & Gas works	NIL	NIL	NIL
6	Electric Power Station/ Grid Sub Stations Total = 12	220 KV GSS MIA,Alwar	1	B
		220 KV GSS Alwar	1	B
		132 KV GSS RVPN Bahadurpur	1	B
		132 KV GSS Kherli	1	B
		132 KV GSS Laxmangarh	1	B
		132 KV GSS RVPN Ramgarh(Alwar)	1	B
		132 KV GSS Malakhera	1	B
		132KV GSS GOVINDGARH(ALWAR)	1	B
		132 KV GSS RVPN Telco Circle Alwar	1	B
		132 KV GSS Rajgarh	1	B
		132 KV GSS, Pinan	1	B
		132 KV GSS Thanagazi	1	B
7	Water Supply/Sewage key points	Water Source, Ambedkar Nagar, Burja and Kati Ghati	3	B
		PHED office, Alwar	1	B
8	Internment Camps	NIL	NIL	NIL
9	Civil Airfields & Est.	NIL	NIL	NIL
10	Govt factories/ Industrial Installaltions	Lords Chloro Alkali, Heavels India, Metso India (MIA Area), Alwar	3	B
11	Food & Oil Storage Depots	Food Corporation of India Godown, Shantikunj, Alwar	1	B
		7 Cyclone Wheat Storege, Transport Nagar, Alwar	1	B
12	Dams, Barrages	Siliserh, Jaysamandh, Atariya	3	B
13	Treasuries/Banks/ Commercial Markets	NIL	NIL	NIL
14	Pvt Factories/ Industrial Installations	Lords Chloro Alkali, Heavels India, Metso India (MIA Area), Alwar	3	B
15	Facilities of the Department of Space	NIL	NIL	NIL
16	Atomic Energy Est.	NIL	NIL	NIL
17	Imp. Govt. Buildings	Mini Secretrait Alwar	1	A
		Govt. Hospital Alwar	1	A
18	Miscellaneous key points	Pandupole Hanuman Mandir, Sariska, Alwar	1	C

		Brithrihari Dham Mandir, Sariska, Alwar	1	C
		Karni Mata Mandir, Alwar	1	C
19	Metro Rail	NIL	NIL	NIL
20	Fertilizers Industries	NIL	NIL	NIL
21	Any other special from your perspective	NIL	NIL	NIL

26. नागरिक सुरक्षा जिलों में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची

क्र.सं.	नाम स्वयंसेवक मय पिता/पति का नाम	मो.नंबर	बै.नं.
1	श्री पूरण चन्द मीना पुत्र श्री हीरालाल मीना	8769926051	25
2	'' सतीश चन्द पुत्र श्री कैलाश चन्द	9772524342	68
3	'' कैलाश चन्द मीना पुत्र श्री जगन लाल	8769926836	323
4	'' महेश चन्द मीना पुत्र श्री घमण्ड़ी लाल मीना	9413446555	509
5	,, अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	9413740856	698
6	'' मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री बिहारीलाल चौधरी	9461192556	715
7	'' हेमेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह	9024879407	1045
8	'' हरविन्द्र अनैजा पुत्र श्री हरीश चन्द्र	9982636334	1241
9	'' अकबर खॉन पुत्र श्री नियाल खॉन	8003074786	1277
10	'' अशपाक खॉन पुत्र श्री पीर खॉन	9783317388	1284
11	,, दीपक शर्मा पुत्र श्री रामवतार शर्मा	9950828181	1342
12	,, भवानी सिंह पुत्र श्री फूलचन्द कुमावत	8619310396	1346
13	,, अजय कुमार पुत्र श्री कालूराम	8829842181	1358
14	श्रीमती ललिता पत्नि श्री रामोतार	9261506080	1444
15	,, दीपचन्द मीणा पुत्र श्री रामजीलाल मीना	9414427600	1655
16	'' मुकेश कुमार पुत्र श्री पूरणराम	9352151098	1758
17	'' प्रमोद कुमार मीना पुत्र श्री लल्लू राम मीना	9079301717	1770
18	,, विजय सिंह पुत्र श्री सोहन लाल मीणा	7891884170	1826
19	'' लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री रामजीलाल मीना	9784484348	1849
20	,, जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री लीला राम मीणा	9587626898	1913
21	'' मनोज छीपी पुत्र श्री प्रहलाद छीपी	8094124191	1915
22	'' राजेन्द्र मीना पुत्र श्री लीलाराम मीना	9413718011	1927
23	'' राजपाल मीना पुत्र श्री मदन लाल मीना	9784804525	1936
24	,, कमलेश चन्द मीना पुत्र श्री ब्रजमोहन मीना	9414882554	1944
25	,, शेर सिंह पुत्र श्री कजोड सिहं	8952050434	1975
26	कैलाश चन्द मीना पुत्र श्री श्याम लाल मीना	9694354774	1960
27	'' सौरभ पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा	9461044945	1967
28	,, शेर सिंह पुत्र श्री कजोड सिहं	8952050434	1975
29	,, महावीर मीणा पुत्र श्री नन्दलाल	9772522052	2013

30	,, फूलचन्द जाटव पुत्र श्री भगवान दास	7737083047	2017
31	'' धनेश खटाणा पुत्र श्री प्रभुदयाल	9660496629	2019
32	,, विकाश कुमार खुराडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार	9887304463	2024
33	,, हेमन्त कुमार सैनी पुत्र श्री कैलाश चन्द्र	9785178697	2037
34	,, राजेश कुमार पुत्र श्री किशन लाल	9460058328	2040
35	'' रमेश चन्द मीना पुत्र श्री हरिकिशन मीना	9929864242	2044
36	,, रामौतार पुत्र श्री रामजीलाल	7568833600	2047
37	,, मोहित कुमार पुत्र श्री हीरालाल	9928804216	2050
38	,, रामबाबू पुत्र श्री रामनारायण	8058793406	2052
39	,, धोलाराम पुत्र श्री कजोडीराम	9509480136	2055
40	,, पूरण राम गुर्जर पुत्र श्री मुखराम	9530244509	2058
41	' विश्राम मीणा पुत्र श्रीश्योप्रसाद	9024761946	2067
42	,, मानसिहं वर्मा पुत्र श्री किशनलाल	9784039601	2071
43	'' मोहनलाल यादव पुत्र श्री रामजीलाल	9680374804	2072
44	'' कुलदीप सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह	9783029800	2073
45	'' नेरन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री मोहन सिंह	9785307547	2075
46	,, दिलीप कुमार सैनी पुत्र श्री किशनलाल सैनी	9660512750	2084
47	,, नरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री रमेश चन्द्र सैनी	8432875700	2085
48	'' रैकचन्द सैन पुत्र श्री मोहनलाल	9636461957	2086
49	श्रीमती ज्योति पत्नि श्री ओमप्रकाश	7571841098	2275
50	श्री दीपक सैन पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद	9928107812	2278
51	'' जितेन्द्र सिंह नाथावत पुत्र श्री गिरार्जसिहं	9680837726	2279
52	'' गौरव सैनी पुत्र श्रीयशवन्त सैनी	9672618362	2301
53	'' शिवाजीराम पुत्र श्री राधाकिशन	8003097980	2307
54	,, नन्दराम चौधरी पुत्र श्रीरूपराम	8003388180	2315
55	,, ईमामुदीन खान पुत्र श्री पीटटल खान	9571114113	2351
56	कु. मनीषा जांगिड पुत्री श्री सतीश चन्द्र	7425064106	2356
57	,, ताहिर खॉन पुत्र श्री काले खॉन	9468925586	2359
58	,, अमित कुमार पुत्र श्री सतीश चन्द्र	9079156887	2361
59	,, संदीप कुमार मीना पुत्र श्री लीलाराम	7610034739	2364
60	,, बुल्ली राम गुर्जर पुत्र श्री रतन लाल गुर्जर	9950756324	2376
61	,, बुद्धीसिंह पुत्र श्री रामजी लाल	9001682661	2377
62	,, चेतराम मीना पुत्र श्री पृहलाद सिंह	9782359953	2379
63	,, लोकेश पुत्र श्री मुन्शी	9829261098	2383
64	श्रीमती क्रोसता पत्नि श्री बलवन्त सिहं	9001881919	2384
65	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सीताराम	9739883695	2385

66	श्रीमती मोनिका पुत्री श्री गोविन्द सहाय	8058483029	2388
67	'' ज्योति जांगिड पुत्री श्री गोविन्द सहाय	8058483029	2389
68	,, पिंकू चाोधरी पुत्र श्री रामजति चौधरी	9785489419	2391
69	,, नासरदीन पुत्र श्री अब्दुल रहमान	9694645219	2396
70	श्रीमति ममता चौधरी पत्नि श्री नन्दराम चौधरी	8003388180	2401
71	श्री नासिर खॉन पुत्र श्री साहबुदीनखान	7665404545	2404
72	,, आसमदीन पुत्र श्री कमरूदीन	9785164572	2406
73	श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द शर्मा	9660651558	2414
74	'' राजे ा सैनी पुत्र श्री खैराती लाल सैनी	9649053952	2434
75	श्री अरूण सिंह पुत्र श्री विजय सिंह	8619566153	2435
76	श्रीमती भारती शर्मा पत्नि श्री उदल प्रकाश शर्मा	8000906386	2436
77	श्री बृजेश वर्मा पुत्र श्री अमरचन्द	9509641662	2437
78	'' राहुल कुमार पुत्र श्री मानसिंह गुर्जर	9694138539	2440
79	'' अमीचन्द गुर्जर पुत्र श्री देवनारायण गुर्जर	9462755117	2442
80	'' राकेश चौहान पुत्र श्री रामअवतार	8619713238	2443
81	'' सोनू कुमावत पुत्र श्री कैलाश कुमावत	7665775712	2445
82	'' लखनसिंह पुत्र श्री श्रीचंद चौधरी	9887501919	2447
83	'' सचिन सिंह शेखावत पुत्र श्री बाबू सिंह शेखावत	9079591154	2448
84	'' सत्यवीर पुत्र श्री लखन लाल	6378214985	2450
85	'' सचिन कुमार यादव पुत्र श्री रोशन लाल यादव	7727911519	2453
86	'' शहनाज खान पुत्र श्री रहमान खान	9694055351	2454
87	'' प्रेम प्रकाश भारद्वाज पुत्र श्री राधेश्याम भारद्वाज	9783030505	2455
88	'' प्रदीप कुमार पुत्र श्री दिलसुख	9694131358	2456
89	'' हरिओम सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह	7878888374	2457
90	'' रूपेश सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह	9772098011	2458
91	'' संदीप कुमार यादव पुत्र श्री नोबत सिंह यादव	9785921011	2459
92	'' दीपक कुमार चौधरी पुत्र श्री रघुवीर	8104282914	2465
93	'' प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री छोटेलाल शर्मा	7689854736	2510
94	'' खेमसिंह पुत्र श्री सावत सिंह	9352166146	2539
95	श्रीमती बिरमा मीना पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार	7339771694	2540
96	श्री वि ाल नालावात पुत्र श्री ओम प्रका ा	9660956636	2541
97	'' महेन्द्र सिंह जाटव पुत्र श्री कल्लूराम जाटव	9680577087	2549
98	'' युगल कि ाोर सैनी पुत्र श्री मोहन लाल सैनी	9649392032	2550
99	श्रीमती सीता पुत्री श्री पवन कुमार	8875906951	2551
100	श्री कृश्ण कुमार सैनी पुत्र श्री गिरधारी लाल सैनी	9461352780	2552
101	'' सुरेन्द्र सिह मीणा पुत्र श्री धोलाराम मीणा	9982676685	2555

102	'' नन्दलाल सैनी पुत्र श्री मनोहर लाल सैनी	9672487009	2556
103	'' रामराज मीणा पुत्र श्री गीलाराम मीणा	8890854089	2557
104	'' रामभरोसा जाट पुत्र श्री गणपत राम	9414441098	59
105	'' रामचरण यादव पुत्र श्री मोहन लाल	9694917950	2108
106	,, रामकिशोर यादव पुत्र श्री मोहन लाल	9680683352	2109
107	'' खेम चन्द सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी	8949568186	2312
108	,, रतनलाल यादव पुत्र श्री मोहनलाल	9785231897	2327
109	श्री सुनील कुमार यादव पुत्र श्री प्रभुदयाल यादव	9079695930ए 9166444055	2432
110	'' विश्णु कुमार यादव पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह यादव	9057475688	2433
111	'' गौरव मीना पुत्र श्री बद्री प्रसाद मीना	7891116310	2441
112	'' श्रवण सिंह गुर्जर पुत्र श्री गणपत गुर्जर	7688884689	2460
113	'' नरेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री गणपत राम गुर्जर	9784120876	2461
114	'' ओमप्रकाश मीना पुत्र श्री रोशन लाल मीना	9694706902	2462
115	'' विश्राम पुत्र श्री भोरसिंह	9667818483	2464
116	कु0 आंचल कुमारी पुत्री श्री रणजीत सिंह	9166177122	2534
117	श्री भानसिंह जाट पुत्र श्री भगवान सहाय जाट	9694405397	2535
118	'' पूरण चौधरी पुत्र श्री श्योराम चौधरी	7737531542	2537
119	,, राजकुमार सैनी पुत्र श्री मंगलाराम	9314921098	2027
120	,, लालजीराम मीना पुत्र श्री रामखिलारी	9636629871	2060
121	,, नरेश कुमार मीणा पुत्र श्री रामाअवतार	8890639780	2110
122	'' देवेन्द्र सैनी पुत्र श्री लक्ष्मण राम	8740815557	2113
123	,, राजेन्द्र प्रसाद मीना पुत्र श्री रामावतार	9636964864	2386
124	,, धनराज मीना पुत्र श्री रामकरण मीना	8890850917	2392
125	,,राहुल शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	9462347322	2415
126	,, पुरूषोतम शर्मा पुत्र श्री भगवती प्रसाद	7891630813	2416
127	,, जयनारायण मीना पुत्र श्री पप्पूराम मीना	9441858782	2422
128	'' राकेश मीना पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद मीना	6376892376	2493
129	'' तेजपाल वर्मा पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद वर्मा	8094097442	2494
130	'' बलराम मीना पुत्र श्री कजोड मल मीना	9571846709	2496
131	'' जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री भगवती प्रसाद शर्मा	8949752606	2497
132	'' कमलकान्त मीना पुत्र श्री घनश्याम मीना	9079011361	2498
133	'' नीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा	9785014900	2499
134	'' छोटे लाल सैनी पुत्र श्री कैलाश चन्द सैनी	9057623554	2500
135	'' राजेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री शिवदयाल	9784150575	2501
136	'' देवी सहाय पुत्र श्री लालाराम प्रजापत	9982096624	2502

137	'' रामखिलाडी मीना पुत्र श्री मांगेलाल मीना	9950595906	2544
138	'' नवल कि ोर मीना पुत्र श्री लाला राम मीना	8107495793	2545
139	''भाग चन्द मीना पुत्र श्री मक्खन लाल	8441937227	1932
140	'' भरतलाल मीणा पुत्र श्री रामकिशन	9414725050	1968
141	'' राजेन्द्र प्रजापत पुत्र श्री फैलीराम प्रजापत	7742957544	1974
142	,, खेमराज मीणा पुत्र श्री रामलाल मीणा	9414276657	1984
143	,, मनोज कुमार मीना पुत्र श्री शिवदयाल मीना	7597505733	2371
144	'' उदल प्रकाश शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द	9828039271	2439
145	'' हरिसिंह मीना पुत्र श्री छोटेलाल मीना	9785119132	2485
146	'' राजेन्द्र मीना पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीना	8955814909	2486
147	'' कुलदीप सिंह राजपूत पुत्र श्री भगवान सिंह राजपूत	8239005530	2487
148	'' सोनू कुमार मीना पुत्र श्री रामसिंह मीना	9351386060	2488
149	'' रूकमणी मीणा पत्नि श्री भम्बूराम मीणा	7891495691	2490
150	'' सोनू मीना पुत्र श्री हरेत राम मीना	7597957774	2491
151	'' अशोक कुमार मीना पुत्र श्री प्रभुदयाल मीना	6378757526	2492
152	'' विकास सत्तावन पुत्र श्री मानसिंह मीना	9413120057	2538
153	'' भम्बूराम मीना पुत्र श्री मदन लाल मीना	7891495661	2546
154	'' शशीकान्त पुत्र श्री बाबूलाल जोगी	8741821368	1792
155	कु. पिंकी मीना पुत्री श्री बुद्धालाल मीना	8290026219	2263
156	,, मुकेश सिहं पुत्र श्री मोती सिहं	7976470651	2397
157	'' रामखिलाडी पुत्र श्री रतनलाल	6375596118	2503
158	'' हरिओम मीना पुत्र श्री विश्राम मीना	8003173648	2504
159	'' रामवीर जोगी पुत्र श्री सुगनलाल जोगी	8239402366	2505
160	'' कृष्ण कुमार पुत्र श्री पतराम	9887685418	2390
161	'' अजीत सिहं पुत्र श्री कन्नुराम	7726059885	2394
162	'' हेमन्तसिहंगुर्जर पुत्र श्री बालूराम	8058240543	2407
163	श्रीमती सुमन गुर्जर पत्नि स्व. श्री कुल कुमार	7073265972	2533
164	श्री पवन चौधरी पुत्र श्री राजे ा चौधरी	7728087314	2547
165	'' करण सिहं पुत्र श्री बलबीर सिहं	9694984797	2398
166	'' रिंकू सूठवाल पुत्र श्री गजराज सिंह	7742678072	2472
167	'' राकेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश	7568895254	2473
168	'' विनोद कुमार पुत्र श्री मांगेराम	9521889275	2474
169	'' दिनेश कुमार पुत्र श्री जलेसिंह	9950685389	2475
170	'' वतन सिंह पुत्र श्री चिरंजी लाल	9785929916	2476
171	'' सौरभ पुत्र श्री अजय सिंह	9352666098	2548
172	'' विनोद शर्मा पुत्र श्री राजेश कुमार	9783234758	2466

173	'' वेदप्रकाश पुत्र श्री करतार सिंह	8058163546	2467
174	'' मोसमदीन पुत्र श्री नसरूदीन	7665126839	2468
175	'' ललित यादव पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद	6378527953	2470
176	'' कासम खान पुत्र श्री फजरू	7239981051	2471
177	'' साहिल पुत्र श्री इन्द्रपाल यादव	7426839894	2519
178	'' राकेश सैनी पुत्र श्री लीलाराम	7023873999	2520
179	'' कमल सैनी पुत्र अरमेश चन्द सैनी	7062338928	2521
180	,, बिल्लुजाट पुत्र श्री उदमीराम	8094621642	2408
181	,, देवेश कुमार खाडिया पुत्र श्री अजय कुमार	9461409669	2409
182	,, मन्जीत सिहं बालियान पुत्र श्री मीर सिहं	9667844683	2410
183	'' रामसिंह गिराटी पुत्र श्री पूरण चन्द	9588969511	2424
184	'' अमीलाल पुत्र श्री रामनिवास	9799189082	2425
185	,, महिपाल सिंह गुर्जर पुत्र श्री कालुराम गुर्जर	9928232383	2426
186	'' प्रमोद कुमार गिराटी पुत्र श्री पूरण चन्द गिराटी	6377325871	2427
187	,, विक्रम कुमार गुर्जर पुत्र श्री रामनिवास	9694530582	2428
188	'' दाताराम गुर्जर पुत्र श्री रामकरण गुर्जर	9461615561	2430
189	,, भरतलाल गुर्जर पुत्र श्री रामनिवास गुर्जर	7230949767	2431
190	'' मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद मीणा	9694621550	2525
191	'' जगत सिंह भढाणा पुत्र श्री फूलसिंह भढाणा	9680368642	2526
192	'' सुमेर कुमार बडकोदिया पुत्र श्री भगवान सहाय	9785237808	2527
193	'' धर्मवीर सैनी पुत्र श्री जयराम सैनी	9664064547	2528
194	'' सुभम यादव पुत्र श्री सरजीत सिंह यादव	9660615001	2529
195	'' चरणसिंह जाट पुत्र श्री मोहर सिंह जाट	9166998899	2530
196	'' छगनलाल मीणा पुत्र श्री जयराम मीणा	9694189448	2531
197	'' अशोक कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द	9772564561	2532
198	'' गौरव कुमार पुत्र अहरपाल सिंह	8094487922	2523
199	'' मुकेश कुमार पुत्र श्री मदन लाल	8003958588	2524
200	'' रितिक कुमार पुत्र श्री हरपाल सिंह	7568646601	2543
201	'' रामखिलाडी मीना पुत्र श्री मांगेलाल मीना	9950595906	2544
202	,, आसु खॉन पुत्र श्री फजरू खान	9309010101	2387
203	'' धर्मवीर सैनी पुत्र श्री मुरारी लाल सैनी	9785633957	2514
204	'' प्रेमचन्द पुत्र श्री मुरारी लाल	6378916690	2515
205	'' तुलसी राम मीणा पुत्र श्री गिल्या राम मीणा	8058214815	2516
206	'' सुरजीत पुत्र श्री ज्ञानचन्द	9352246241	2517
207	श्री दोद्या सिंह पुत्र श्री लल्लू सिंह	8000867228	2449
208	'' रवि कुमार पुत्र श्री रामजीलाल	9782223401	2477

209	'' जुबेर खान पुत्र श्री आमीम खान		9549197114	2478
210	'' प्रमोद कुमार पुत्र श्री सूरज प्रसाद		8696671973	2479
211	'' उमेश चन्द सैन पुत्र श्री रामावतार सैन		9694754939	2480
212	'' विकेश जाटव पुत्र श्री बदन सिंह		7878455182	2481
213	'' अरूण राना पुत्र श्री राजवीर सिंह		7740978292	2483
214	'' देशराज जाट पुत्र श्री झान्झूराम		9001302977	2429
215	'' लोकेश कुमार मीना पुत्र श्री जगदीश		7297072034	2506
216	'' भरतराम शर्मा पुत्र श्री बुद्धा लाल शर्मा		8058917979	2507
217	'' श्याम सुन्दर पुत्र श्री विक्रम सिंह		9667017978	2508
218	'' विजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री किशन लाल सैनी		9166507347	2509
219	'' अनुराग शर्मा पुत्र श्री रमाकान्त शर्मा		7737963984	2511
220	'' हेमन्त कुमार लखेरा पुत्र श्री कैलाश चन्द लखेरा		8233777158	2512
221	'' योगेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामेश्वर दयाल सैनी		9571934820	2513
222	श्री मुस्ताक खांन	हाकमदीन	7240164727	2558
223	'' नितिन कुमार	हजारी लाल	8385030142	2559
224	'' राहुल	रामहेत	7891960695	2560
225	'' मुनफेद खां	जुम्मा खां	9983031009	2561
226	'' नरेन्द्र कुमार	मॉगेराम	9057905045	2562
227	''केदार मीना	रामजीलाल लाल मीना	9772741176	2563
228	''धर्म सिंह मीना	कैलाश चन्द मीना	9785458040	2564
229	''झन्डूराम मीना	रामहेत मीना	9057623842	2565
230	''लोकेश कुमार यादव	रामखिलारी यादव	8302629592	2566
231	''जलधारी मीना	रामकिशन मीना	9549592041	2567
232	''मनीष कुमार मीना	बनवारी लाल मीना	9571216919	2568
233	''राहुल मीना	रामलाल मीना	8824522321	2569
234	श्री अनिल कुमार सैनी	तारा चन्द सैनी	8290847247	2570
235	''पुनित शर्मा	छोटे लाल शर्मा	9571180280	2571
236	श्री अनिल कुमार शर्मा	हरिमोहन शर्मा	9057798225	2572
237	श्री महेश चन्द मीना	सुवालाल मीणा	7740973627	2573
238	''अंकित गुप्ता	दिनेश चन्द गुप्ता	7597851407	2574
239	''विष्णु कुमार मीना	कोठारी लाल मीना	7568722867	2575
240	''पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा	सुशील शर्मा	9352661695	2576
241	श्री प्रशांत शर्मा	श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा	6376306490	2577
242	श्री तनुज कुमार शर्मा	श्री भूपेन्द्र कुमार	8955979723	2578
243	श्री राजेश मीना	श्री कैलाश मीना	7691847365	2579
244	श्री पुषेन्द्र	श्री जगदीश शर्मा	8769752500	2580

245	'' भूपेन्द्र कुमार शर्मा	जगदीश प्रसाद	9166623267	2581
246	श्री रविकान्त शर्मा	खुशीराम शर्मा	7425834048	2582
247	श्री युवराज यादव	पदमसिंह	7891348828	2583
248	श्री मनोज यादव	विजेन्द्रसिंह	8764449741	2584
249	श्री अरूण प्रकाश	महेन्द्र कुमार	9414278297	2585
250	श्री लक्ष्मण प्रसाद	श्यामलाल शर्मा	9667050450	2586
251	श्री दीपक कुमार	घनश्याम शर्मा	8504805328	2587
252	श्री बिजेन्द्रसिंह	श्रीभान	7877543476	2588
253	श्री संदीप कुमार	मिश्रीलाल शर्मा	9057639019	2589
254	श्री जगमोहन	श्री कमल शर्मा	7688869615	2590
255	श्री दयासागर शर्मा	कमल शर्मा	8094746665	2591
256	श्री रविकुमार शर्मा	अशोक कुमार शर्मा	6377545182	2592
257	श्री मधुवीरसिंह	श्रीभानसिंह	8058535245	2593
258	श्री भानूप्रकाश शर्मा	पीताम्बर	9982723171	2594
259	श्री हेमन्त कुमार	शिवराम शर्मा	9672197703	2595
260	श्री हरेन्द्र कुमार	राजेन्द्र प्रसाद	8502959092	2596
261	श्री संजीव जाटव	श्री रामपाल जाटव	6367880892	2597
262	श्री नेत्रपाल	कुंबरसिंह	9928827485	2598
263	श्री लियाकत खान	इसरू खान	8504826421	2599
264	श्री रियासत खान	इसरू खान	9588751384	2600
265	श्री अनुराग कुमार	बनवारीलाल	7728927538	2601
266	श्री अंसार खान	असलम खान	8769901710	2602
267	श्री रत्तीराम मीणा	रामलाल मीना	7878312011	2603
268	श्री कमल मीणा	किशनलाल मीना	9079944039	2604
269	श्री भानू जांगिड	तुलसीराम जांगिड	6377662275	2605
270	श्री विक्रम मीना	श्री मांगीलाल मीना	9414724949	2606
271	श्री धर्मवीर सैनी	मुरारी लाल सैनी	7240460146	2607
272	श्री जसवंतसिंह	जोगेन्द्रसिंह	7877977450	2608
273	श्री रवि कुमार शर्मा	विजेन्द्र	6376579959	2609
274	श्री बनेसिंह	श्री रघुवीर सिंह	6376711514	2610
275	श्री बालाराम शर्मा	श्री लक्ष्मणप्रसाद	9785815878	2611
276	'' प्रेमराज मीना	गिर्राज प्रसाद मीना	9799619457	2612
277	''यशवंत कुमार यादव	रामखिलारी यादव	8769472032	2613
278	'' महेश चंद मीना	विशराम मीना	8104194360	2614
279	'' सुरेन्द्र कुमार मीना	विश्राम मीना	9610525353	2615
280	'' सोनू कुमार योगी	अमरसिंह	8741995959	2616

281	'' बिजेन्द्र कुमार कोली	समय सिंह	8440014954	2617
282	'' गोरधन राम	जगन्या राम	9694270245	2618
283	'' निर्मल कुमार शर्मा	लच्छी राम शर्मा	7792092184	2619
284	'' मनीष कुमार गोतम	सतीश चन्द शर्मा	6378168691	2620
285	'' सतेन्द्र सिंह नरूका	महेश सिंह नरूका	7878480776	2621
286	'' हितेश कुमार गौतम	सतीश चन्द शर्मा	9875753667	2622
287	'' लोकेश कुमार जाट	मदनलाल जाट	7762196341	2623
288	'' दिलीप चौधरी	लेखराम चौधरी	8209345372	2624
289	'' आशा राम चौधरी	खुबीराम जाट	9588295986	2625
290	'' रामवीर जाट	मनसिंह जाट	9785897706	2626
291	'' आकाश जाट	कैलाश सिंह जाट	7726948324	2627
292	'' शिवचरण मीना	रघुवर दयाल मीना	7877835131	2628
293	'' देवेन्द्र कुमार	काडूराम	8441067619	2629
294	'' रामबाबु जाटव	रिछपाल जाटव	9350226031	2630
295	श्री नवीन कुमार शर्मा	पुत्र श्री अशोक कुमार	9672127700	2631
296	श्री करणसिंह	पुत्र बन्टीसिंह	9024747010	2632
297	श्री बिजेन्द्र कुमार	पुत्र श्री कैलाशन्द	8955891388	2633
298	'' गिरीश कुमार शर्मा	श्री वेदप्रकाश शर्मा	9799968225	2634
299	'' अमित कुमार शर्मा	श्री वेदप्रकाश शर्मा	8118839977	2635
300	'' हरिचंद	श्री सोहनपाल	8003157626	2636
301	'' रविन्द्र कुमार	श्री कल्लूराम	7340324460	2637
302	'' हेमन्त	श्री पूरणमल	8118808757	2638
303	'' अजीत	श्री राव विरेन्द्र	8769579681	2639
304	'' बलवीर	श्री देवला	6350304144	2640
305	'' जैतून खां	श्री जाकिर खां	9783841628	2641
306	'' संजय मीना	श्री देवकरण	8824525221	2642
307	'' कमलेश मीना	श्री गिर्राज प्रसाद मीना	9414516376	2643
308	'' जीत सिंह यादव	श्री रामावतार यादव	6350000452	2644
309	'' इन्दर सिंह बैरवा	श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा	7877411628	2645
310	'' प्रदीप गुर्जर	श्री रघुवीर गुर्जर	8239703591	2646
311	'' सुबेसिंह जाट	श्री रामभरोसा जाट	9314441098	2647
312	'' Bhanu Pratap singh	Hukamsingh	9950371342	2648
313	'' Rajesh Choudhary	Kirodi	7240373214	2649

314	smt. Sapna Yadav	W/o Mohan lal Yadav	9680374804	2650
315	Shree Asif khan	Jahhuru khan	8094129431	2651
316	'' Munfaid khan	Aas Mohammad khan	9664252903	2652
317	'' Shoyab	Khurshid	7728919291	2653
318	'' Arun Bhardwaj	Brahmanand Bhardwaj	8058726208	2654
319	'' Rajesh Sain	Phool Chand Sain	7357933503	2655
320	'' Rajesh Kumar Meena	Shyamlal meena	9785343493	2656
321	'' Mukesh	Jagdish	7690056231	2657
322	'' Trilok Chand Sharma	Suresh Chand Shrma	8058661159	2658
323	'' Vikram Soni	Pratap Soni	6367581097	2659
324	'' Amit Kumar	Dhanna Lal	9667702698	2660
325	'' Pankaj Naruka	Ghanshyam singhnaruka	8696869801	2661
326	'' Vishvendra singh	Surendra singh	9602380732	2662
327	'' Rinku Prajapati	Banwarilal	8440925164	2663
328	'' Subehesh Gurjar	Dolat Ram	6377473030	2664
329	'' Umesh Kumar sain	Rajesh kumarsain	9461939546	2665
330	'' Vedprasah	Rewar ram verma	7976845545	2666
331	'' Rahul	Padamchand	6367784594	2667
332	'' Ajay	Shankar lal	8696118536	2668
333	'' Bharat sharma	Mahendra kumar sharma	7014313704	2669
334	'' मनीष	भुरे खान	7296921804	2670
335	'' प्रमज्योत	बलजीत सिंह	7891980582	2671
336	'' सतनाम	रामधन	6375318504	2672
337	''हरमान सिंह	मोहर सिंह	7691891011	2673
338	श्रीमती सीमा शर्मा	पति हरिश कुमार	7891487223	2674
339	श्रीमती अनिता बैरवा	पति श्री तेजपाल वर्मा	8094097442	2675
340	श्रीमती पूनम बैरवा	पति श्री दुर्गाप्रसाद बैरवा	8094097442	2676
341	सुश्री सुमन बाई मीना	श्री अर्जुनलाल मीणा	9783713015	2677
342	श्रीमती साक्षी शर्मा पति	पति श्री अभिषेक शर्मा	8209351190	2678
343	smt. Dholi meena	w/o Bhulli ram meena	8741863919	2679
344	'' Prabh Jyoti Kaur	Baljeetsingh	7891981120	2680
345	श्री नवीन कुमार मीना	बाबूलाल मीना	9194002999	2681
346	'' नीतीश कुमार मीना	रामसिंह मीना	9116555757	2682
347	'' पायलेट गुर्जर	प्रहलाद गुर्जर	8769102149	2683
348	श्री योगेश मीना	मुकेश मीना	9079798223	2684

349	श्री हरदयाल मीना	पांचूराम मीना	8094947826	2685
350	'' उमेर खॉन	उमरदीन खॉन	9351937721	2686
351	'' प्रदीप कुमार	वंशीलाल	8209029034	2687
352	श्री चेतराम मीना	श्री नानगाराम मीना	8058523114	2688
353	श्री पुष्पेन्द्र शर्मा	श्री शिवराम शर्मा	6377827526	2689
354	श्री योगेश कुमार शर्मा	श्री महेश चन्द शर्मा	7357548971	2690
355	श्री हितेश तिवारी	हरिशचन्द तिवारी	8233584051	2691
356	श्री अजरुद्दीन	सन्नी खान	9351525035	2692
357	श्री प्रकाश चंद मीणा	किशन सहाय	9887617070	2693
358	श्री सोनू कुमार	वीरसिंह	7014710519	2694
359	श्री रोहिताशव	खेमचन्द	7665065909	2695
360	श्री टीकमचंद मीना	जगदीश प्रसाद	8058199672	2696
361	श्री सोनू कुमार मीणा	पुन्याराम	8502800943	2697
362	श्री राहुल मीणा	लक्ष्मणसिंह मीण	7378240376	2698
363	'' रत्तीराम	रामकिशोर	9660184726	2699
364	'' ओमप्रकाश प्रजापत	हरीराम प्रजापत	7240360510	2700
365	'' जफरूदीन खान	मुजाद खान	6375144089	2701
366	'' धमेन्द्र कुमार	रामोवतार	7891143564	2702
367	'' समयसिंह यादव	धरम सिंह	8949496161	2703
368	'' दिनेश कुमार मीना	श्रीया राम मीना	9694333368	2704
369	'' राजेश चौधरी	गजेन्द्र सिंह	7023012503	2705
370	'' मनी राम बावरिया	सरूपा बावरिया	6375108289	2706
371	'' भोलाराम सैनी	परसा राम सैनी	8696454594	2707
372	'' मोहित सिंह	महेन्द्र सिंह	6375564959	2708
373	'' संजय कुमार	बाबूलाल	9571311130	2709
374	'' राजवीर	बाबूलाल	9057980684	2710
375	'' पवन कुमार जाट	मंगतू राम जाट	8432276114	2711
376	'' जितेन्द्र	मोहरसिंह जाट	9694783536	2712
377	'' समुन्द्र सिंह प्रजापत	दौलतराम	7665167436	2713
378	'' ग्रिजेश जाट	बनावरी लाल	7665674529	2714
379	'' राकेश कुमार	श्री रोहिताश	7240083247	2715
380	'' राकेश कुमार	श्री नंदलाल	8094889449	2716
381	'' कैलाश चंद	श्री गिर्राज प्रसाद	8094889449	2717
382	'' सीटू	श्री धनसिंह	8058714270	2718
383	'' सौभाग्य सिंह	श्री सियाराम गुर्जर	9983313211	2719
384	'' राजेश यादव	श्री रत्तीराम यादव	7665383576	2720

385	'' आजाद खां	श्री मौज खां	7877235072	2721
386	'' अजय कुमार मीना	श्री दुर्गाप्रसाद	6378991360	2722
387	'' मनमोहन गौड	श्री गिर्राज गौड	8875287941	2723
388	श्री योगेश चौधरी	हरिओमसिंह	6378895091	2724
389	'' दिगम्बर चौधरी	जोरमल चौधरी	8239935952	2725
390	'' रवि कुमार	श्री जयसिंह	7877118271	2726
391	'' सन्तोष कुमार बैरवा	श्री तोताराम बैरवा	6375269998	2727
392	'' बिजेन्द्र मीणा	श्री रामखिलाडी मीणा	9079646759	2728
393	Shree Abhay kumarmeena	Narayan meena	9351028448	2729
394	'' Arif	Umerdeen	9694165951	2730
395	'' Ikbal khan	Ayub khan	9772286576	2731
396	'' Ajay kumarsaini	Prem Chand saini	7357094690	2732
397	'' Jitendra	Hari Nand Choudhary	7733856097	2733
398	'' Mordhwaj	Suresh chand	7374052215	2734
399	'' Jetendra Kumar Sharma	Kanhiya Lal Sharma	9785538581	2735
400	'' Amit KuamrSoni	Narendra Kumar	9672810178	2736
401	'' Shyamsingh	Prabhu Dayal	8114410149	2737
402	'' Pradeep Choudhary	Daya ram jat	9928773684	2738
403	'' Jay singh	Sitaram	9571273765	2739
404	'' Bunty Singh	Babusingh	7665299178	2740
405	'' Ashok kumar chchoudhary	Balbir Choudhary	8690910791	2741
406	'' Naresh koli	Chotelalkoli	9352789558	2742
407	'' जैकम खान	जुबेदीन खान	6377389352	2743
408	'' धर्मराज	मंगतूराम मीना	8058946502	2744
409	'' मोनू	अमिचंद चौधरी	8005788006	2745
410	'' सुनील कुमार	किशनसिंह	8824252150	2746
411	'' रियासत खान	मोहर खान	9887786155	2747
412	'' सुनील मीना	कैलाश चंद मीना	7568978495	2748
413	'' सचिन सैनी	धन्ना लाल	8955084229	2749
414	'' सचिन गोला	बीरबल सिंह	8505062842	2750
415	'' धीरज कुमार	ब्रजबिहारी	8824851203	2751
416	'' इन्द्र कुमार	धनीराम	8000556998	2752
417	श्रीमती केशन्ता कुमार गुर्जर	नेतराम भरगड	7742383410	2753
418	'' पूनम कुमारी	श्री भूपेन्द्र सिंह	8949465230	2754
419	'' ज्योति मीना	बाबूलाल मीना	7877627617	2755

27. जिले में नागरिक सुरक्षा उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची

क0 सं0	उपकरण का नाम	कुल मात्रा
1	2	3
1.	ब्लैक बोर्ड	2
2.	टेलिस्कोप लैडर	2
3.	फुल बाडी हारनेस	29
4.	लाईफ जैकिट विद लाईट	5
5.	वर्किंग लैम्प	2
6.	जरनेटर सैट 2.5 के.वी. बिरला	1
7.	स्ट्रेचर कैनवास टाईप	2
8.	सेफ्टी हैलमेट	34
9.	बी.ए. सैट विद टू सलैण्डर	4
10.	कम्प्यूटर डेल 780	2
11.	लेजर प्रिन्टर रेसूला	2
12.	वाटर जैल ब्लेंकेट	3
13.	टार्च समबर्सेबल	6
14.	मोटर साईकिल TVS	1
15.	डी.वी.डी. प्लेयर सोनी	1
16.	डिजीटल कैमरा (कैनन और सोनी)	3
17.	वीडियों कैमरा सोनी	2
18.	रेपलिंग रोप 8M.M	4 नग
19.	क्लाइम्बिंग रोप	1
20.	TOPE MEASURING	2
21.	व्हाईट बोर्ड	2
22.	पूलीज डबलसीव	4
23.	पुलीज	4
24.	पुलीज ट्रिपल सीव	2
25.	फ्लोरो सेन्ट जैकिट	294
26.	सेफ्टी टार्च	15
27.	हाईड्रौलिक जैक	2
28.	इलेक्टिक ड्रिल मशीन	4
29.	मैडिकल फर्स्ट रेस्पोन्स किट	2
30.	TOR 0.8x6 48 MTR	2
31.	राजस्थान रोड़/रेल मैप	3
32.	स्ट्रेपलर लार्ज साईज	1
33.	P.A WQPT (CLOSES) BOSCHC SET AMP	1
34.	P.A WQPT (OPEN) BOSCHC SET AMP	1

35.	कलर टी.वी. पेनासोनिक	1
36.	LCD TV 26inch	1
37.	मल्टी मिडिया प्रोजेक्टरSanyo Plcxu355	1
38.	प्रिन्टर लैक्समार्क एम0एफ0टी0	1
39.	फायरएन्ट्रीसूट	1
40.	चैनल रिंग	06
41.	रिंग जोडने की रोड	12
42.	तख्ते लकडी के	38
43.	मोनोब्लाक पम्प	01
44.	मैन स्विच	01
45.	स्ट्राटर	01
46.	फ्ल्क्सीबल पाईप 2 इन्च	100Ft
47.	फुटबाल निप्पल	01
48.	तीन कोर केबल	100Ft
49.	सैफ्टी बैल्ट	08
50.	हेलमेट	20
51.	डस्ट मास्क	05
52.	आईरन बैल(बिलाई)	02
53.	कार्यालय बोर्ड	01
54.	नक्शा अलवर	1
55.	व्हाईट रेगजीन स्क्रीन	1
56.	टेप मेज	1
57.	हेन्ड ग्लोवज	35 Pair
58.	दीवार घडी	2
59.	डी0टी0एच0 सैट	1
60.	टेबिल हेविंग एम0डी0एफ0	1
61.	युनिट हेविंग एम0डी0एफ0बोर्ड	1
62.	युनिट हेविंग एम0डी0एफ0बोर्ड थ्री ड्रायर	1
63.	कम्प्यूटर चैयर रिवालविंग	1
64.	कम्प्यूटर चैयर	1
65.	कम्प्यूटर चैयर सादा	10
66.	100 वॉट एच.एफ रेडियो सैट विद ऐसेसीरिज	1
67.	आयरन शॉल्डलीवर	2
68.	हैवी ब्लॉक	1
69.	क्रो बार	2
70.	हैमर स्लेज	1
71.	हैवी एक्स	1
72.	लाईट एक्स	1

73.	हैण्ड शा	1
74.	एक्सटेंशन लैडर 35फिट	1
75.	फायरमैन एक्स	1
76.	हरीकेन लैम्पस	2
77.	हैलमेट	13
78.	गमबूट पेयर	38 Pair
79.	स्ट्रेरिप पम्प विद नोजल	9
80.	पिक एक्स	8
81.	बम्बू लैडर	2
82.	ऑफिस टयूबलर चेयर फुल आर्म/हाफ आर्म	9
83.	लाईफ जैकेट	51
84.	फर्स	4
85.	कैंची	1
86.	स्टील अलमारी	3
87.	डेजर्ट कूलर लोहा/ प्लास्टिक कूलर	4
88.	रस्सा नाईलोन	1 बण्डल
89.	ताले	11
90.	आयरन स्टैण्ड	2
91.	ट्यूब लाईट कम्पलीट	3
92.	पंखे (पुराने कार्यालय मोतीडूगरी से)	6
93.	स्टील रैक	2
94.	ट्रंक (बक्सा)	2
95.	डबल लॉक तिजौरी	1
96.	इलैक्ट्रिक सायरन	5
97.	ना. सु. चार्ट	8
98.	हैण्ड सायरन	2
99.	टेबिल सुपिरियर	4
100.	चैयर रिवालविंग	1
101.	फोम /वाटर सी0ओ0 2 एस्टीग्यूसर	3
102.	स्केनर	1
103.	आर0ओ0	1
104.	यू0पी0एस0 1 के0वी0ए0	1
105.	ABC टाईप फायर एस्टिंग्यूसर 06 के0जी0	1
106.	BOB रोप 12 एम0एम0	180 Mtr
107.	BOB रोप 14 एम0एम0	180 Mtr
108.	स्ट्रैचर स्पाईनर बोर्ड	04
109.	केराबीनर	22
110.	Mask Multipurpose	22

111.	टूल किट	01 Set
112.	मेगा फोन	04
113.	GOGGLES (चश्मा)	25
114.	POCKET CPR MASK मास्क	10
115.	गर्म हीटर	01
116.	कम्बल (उनी)	16
117.	दरी	10
118.	ड्रम व केन खाली	5
119.	एसैन्डर	3
120.	डिसैन्डर	3
121.	कुर्सी प्लास्टिक	36
122.	बक्सा लोहा	2
123.	कम्प्यूटर टेबिल	1
124.	बॉलेरो कैम्पर (रेस्क्यू वाहन)	1
125.	Ninja Micro UAV with Accessories(DRON)	1
126.	लैपटॉप मय सॉफ्टवेयर	1
127.	Body worn harness	1
128.	बैटरी (Dron)	3
129.	चार्जर	1
130.	पैन ड्राईव	1
131.	INFLATABLE RESCUE BOAT	2
132.	LED HEADLIGHT WITH HEMLET	18
133.	MULTI GAS DETECTOR	1
134.	FIRE SUIT	2
135.	SAFETY NET (जाल)	5
136.	SAVIOUR BLACK PUON HPPE LINER GLOVE	25
137.	गदृदा मय कवर	100
138.	बैड सीट	100
139.	तकिया मय कवर सहीत	100
140.	कम्बल	109
141.	स्ट्रैचर	31
142.	लार्डफ बाय	48
143.	ANCHOR (लंगर डालना)	1
144.	AXE HATCH (कुल्हाडी हैच)	1
145.	CAMPING TENT (डेरा डालना)	1
146.	CAT HOOK (बिल्ली का काटा)	1
147.	CHAIN SAW	1
148.	COMPASS AND MAP	1

149.	DCP FIRE EXTINGUISHER	3
150.	EMERGENCY SPOT LIGHT	1
151.	FIRST AID KIT	3
152.	FALCANISED BUCKET (जस्ती बाल्टी)	3
153.	GOGGLE (चस्मे)	8
154.	जी पी स ग्रामीण ट्रेक	1
155.	रबर के जुते	10
156.	NAVIGATION LIGHT RED(हल्का लाल)	1
157.	बी ओ बी रोप (बण्डल)	1
158.	ORS AND OAR LOCK चम्पु कडा	2
159.	OUT BOARD MOTOR (भारी इंजन)	1
160.	PARK PICKET FENCING (घेरा वाडी)	1
161.	लाइफ बाय (personal floating device)	7
162.	बैट्री (solar rechargeable torch)	7
163.	थ्रो बैग	1
164.	टुल बोक्स	1
165.	वायर लैस	2
166.	ग्रीस गन	01
167.	फोम मैकिंग बांच (एफ.बी. 5 एक्स टाईप) MFG 5X	03
168.	फोग नोजल	01
169.	एल्मूनियम लेडर	2
170.	डिलेवरी होजपाईप	2350 Ft
171.	कपलिंग इन्स्ट्रालेशन	17 Pr
172.	सेक्शन रिन्च	04
173.	सेक्शन स्टेनर ब्रास	02
174.	बास्केट स्टैनर	02
175.	डिवाईडिंग बीचिंग	2
176.	कलेक्टिग बीचिंग	2
177.	हाईड्रैन्ट स्टैण्ड पाईप	1
178.	हाईड्रैन्ट कनेक्शन पाईप	2
179.	हाईड्रैन्ट की विद कवर	1
180.	हैड कन्ट्रोल ब्रांच	02
181.	स्टैण्डर्ड ब्रांच विद नोजल	1
182.	नोजल	10
183.	अडेप्टर डबल फिमेल	2
184.	अडेप्टर डबलमेल	2
185.	नोजल स्पैनर	2
186.	कैनवास बैकेट	2

187.	दस्ताने	Pr3
188.	एक्स लार्ज	03
189.	स्पैड (फावडा)	05
190.	पिक एक्स	3
191.	क्रो बार	03
192.	स्लेज हैमर	02
193.	कारपेन्टर सा	1
194.	डोर ब्रैकर	02
195.	फायर हुक	3
196.	फाईल बस्टर्ड	2
197.	सैड चैनल	1
198.	हैलोन एक्सटीग्यूशर	1
199.	सी.ओ. 2 एक्टीग्यूशर	1
200.	वाटर सी.ओ. 2 एक्टीग्यूशर	1
201.	बाल्टी लोहा	9
202.	वाहन की बचाव जाली	6
203.	स्पेनर एडजेस्टेबल	1
204.	ताले	5
205.	दीवार घड़ी	2
206.	टार्च तीन सेल	2
207.	फर्स	1
208.	आयरन स्टैण्ड	1
209.	जैक विद हेण्डल	1
210.	रेस्पीरेटर	4
211.	रिवालविंग हैड ब्रांच	03
212.	फोम मैकिंग ब्रांच (एफ.बी. 10 एक्स टाईप)	1
213.	फोम टाईप एक्ट्रीग्यूसर रिफिल्ड	5
214.	ए.बी.सी. टाईप एक्ट्रीग्युसर	06
215.	गैस मास्क रेस्पीरेटर	2
216.	फायरमैन एक्स	04
217.	बेलचा मय हत्ता	3
218.	टायर, ट्यूब, लगोट	1
219.	रिचार्जेबिल टार्च	2
220.	फायर टैण्डर मय ऐसेसरीज	02
221.	लोंग लाईन 50 mm	45Mtr
222.	रिपलिंग रोप/बी.ओ.बी. रोपबण्डल	2
223.	स्ट्रेचर स्पाईल बोर्ड	1
224.	क्रोस टेन्ट ग्लेनेज नोजल (न्यूलाईट)	1

225.	स्टील आलमीरा बड़ी	1
226.	बक्सा लोहा	1
227.	बैट्री एम0एच0डी01500 150 ए0एच0एफ 002 एच	1
228.	सैक्शन होज पाईप	04 नग
229.	डिफ्यूजर ब्रांच यूनीवर्सल	01
230.	फस्ट एड बॉक्स	01
231.	पंखे बिजली के	27
232.	रेग्यूलेटर	18
233.	ट्यूब लाईट कंम्पलीट	35
234.	Wash Basins	03
235.	PVC water Tank capacity 500 Litrs.	02
236.	Bib Cock	05
237.	Submersible Motor Pump set(7.5 HP)	01
238.	European Type Wc pan with Seat Cover	01
239.	WVC Urinal Pan	02
240.	Low Level Flushing Cirtern	04
241.	Panel Board for Submersible Motor Pump.	01
242.	Looking Mirro	03
243.	Towel Rail	03
244.	Submersible Cable	100.30 Mis.
245.	Synthetic Rope	91.41 Mis.
246.	Indian Type Orissa pan WC	03